

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th

LOK SABHA DEBATES
[चौथा सत्र
Fourth Session]



[खंड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा बाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi. |

ભોવ સેમા લાદ વિવાદ

સ્વં ૩ ૧૨

ઓવ ૧૧ — ૨૦

૨૫ માર્ચ — ૧૦ અપ્રેલ

૧૯૭૨

P. L

103-104

103

Lok-Sabha Debates
(Hindi)

Vd. XVII

No 1-10

31 July - 11 Aug
1972

P.L

विषय सूची/CONTENTS

अंक 11, शनिवार, 25 मार्च, 1972/ 5 चैत्र, 1894 (शक)
No. 11, Saturday, March 25, 1972/ Chaitra 5, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table	... 1
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	... 1
सभा का कार्य	Business of the House	... 1—3
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्रधिकार विधेयक-पुरःस्थापित	Marine Products Export Development Authority Bill— Introduced	... 4
सामान्य बजट, 1972—73 सामान्य चर्चा	General Budget, 1972-73— General Discussion	... 4—33
श्री के. आर. गणेश	Shri K. R. Ganesh	4—5
श्री एम. एस. संजीवी राव	Shri M. S. Sanjeevi Rao	5—6
श्री बीरेन्द्रसिंह राव	Shri Birender Singh Rao	6—7
श्री बी.आर. कावडे	Shri B. R. Kavde	7—8
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga	... 9—10
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup	... 11—12
श्री एम. एस. शिवस्वामी	Shri M. S. Sivasamy	... 12—13
श्री पी. वी. जी. राजू	Shri P. V. G. Raju	... 13—14
श्री चन्द्रलाल चन्द्राकार	Shri Chandulal Chandrakar	... 14
डा. हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	... 15—16
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	... 16—17
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	... 17—18
श्री एम. रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	18
श्री धर्मराव अफजलपुरकर	Shri Dharamrao Afzalpurkar	... 18—19

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री डी. डी. देसाई	Shri D. D. Desai	... 19—21
श्री वरके जार्ज	Shri Varkey George	... 21 22
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banmali Patnaik	... 22—23
श्री प्रताप सिंह	Shri Partap Singh	... 23—24
श्री सी. डी. गौतम	Shri C. D. Gautam	24
श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे	Shri Krishan Chandra Pandey	... 24—25
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	... 25—26
श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	Shri Narendra Singh Bihst	... 26
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	... 26
श्री जी. पी. यादव	Shri G. P. Yadav	... 26—27
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	... 27—33
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1972-73	Demands for Grants on Account (General), 1972-73	... 34—40
विनियोग (लेखानुदान), विधेयक, 1972, पुरःस्थापित तथा पारित	Appropriation (Vote on Account) Bill, 1972—Introduced and passed	... 41—42

लोक सभा
LOK SABHA

शनिवार, 25 मार्च, 1972/ 5 चैत्र, 1894 (शक)
Saturday, March 25, 1972/ Chaitra 5, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at two Minutes past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की भिन्न-भिन्न दरें

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की भिन्न-भिन्न दरों के सम्बन्ध में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1553/72]

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक सभा-पटल पर रखता हूँ :

- (1) विनियोग विधेयक, 1972
- (2) विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1972
- (3) विनियोग (रेल) विधेयक, 1972
- (4) विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1972

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : आपकी अनुमति से

मैं घोषणा करता हूँ कि मंगलवार, 28 मार्च, 1972 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा—

- (1) सशस्त्र बल (असम तथा मणिपुर) विशेष शक्तियाँ (संशोधन) विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

- (2) वायुयान (संशोधन) विधेयक, 1972

(विचार तथा पास करना)

- (3) समुन्द्री-उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार विधेयक, 1972

(विचार तथा पास करना)

- (4) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा।

SHRI ISHAQ SAMBHALI (Amroha) : Mr. Speaker, Sir, it is regrettable that the students of Aligarh University were arrested when they came here to meet the Prime Minister. They came here to see the Prime Minister and to acquaint her with their demands. To accept or not accept their demands is another thing, but the refusal of the Prime Minister to meet them and their arrest are very unfortunate. The students of the Aligarh University were not well treated. The Prime Minister should be asked to make a statement in the House and a discussion should be allowed thereon.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय मैंने आपके पास तीन बातें भेजी हैं जिनको मैं यहाँ उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रतिदिन कोई न कोई बात लेकर आ जाते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं चाहता हूँ कि मंत्रियों को स्वयं सभा में ऐसे मामलों पर वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी सभी बातें संबंधित मंत्रियों को भेज दी हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : तब संसद में लाने की क्या जरूरत है। हम आपको लिखें तथा आप मंत्रियों को भेज दें। संसद को स्थगित कर दीजिये। मैं चुनकर आया हूँ।

अध्यक्ष महोदय : हम सभी चुनकर आये हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री इन विषयों पर वक्तव्य दें जो मैं बता रहा हूँ। कानपुर में कपड़े की मिलें हैं। उन्हें खाडिलकर फार्मूला स्वीकार नहीं है। वहाँ पर सोमवार 20000 मजदूरों की हड़ताल होने वाली है। कानपुर में आई. आई. टी. शिक्षा संस्था बन्द है? धीरे-धीरे हमारे अधिकार कम किये जा रहे हैं। हमें अत्यावश्यक मामलों पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। सभा में तानाशाही नहीं चलनी चाहिये (अन्तर्बाधाएं)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मामला बहुत गम्भीर है अतः माननीय मंत्री को इस बारे में तुरन्त वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य उद्देश्य मंत्री महोदय को सूचना देना है । यह कार्य कर दिया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन उन्होंने उसकी उपेक्षा की है । अतः हमने इसे आपके माध्यम से नोटिस दिया । अन्यथा हम मंत्री महोदय को सीधे नोटिस दे सकते थे ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : हम इस बात से सहमत हैं कि माननीय सदस्यों के अधिकारों का आदर किया जाना चाहिये । सरकार कोई बात सदस्यों से छिपाना नहीं चाहती है । जब आवश्यक नोटिस दिया गया है तो हम वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं । लेकिन इस मामले में नोटिस नहीं दिया गया है फिर भी हम वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री आई० आई० टी० के बारे में वक्तव्य दें ।

श्री राजबहादुर : मंत्री महोदय एक वक्तव्य देंगे । अध्यक्ष महोदय ने उन्हें इसके निदेश दे दिये हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : आई० आई० टी० शिक्षा संस्था के विद्यार्थियों से कैम्पस खाली करने के लिये कहा गया है । इससे आप स्थिति का अन्दाज लगा सकते हैं ।

खाडिलकर फार्मूला जयपुर उद्योग समूह और सिघानिया उद्योग समूह को स्वीकार नहीं है और वे हड़ताल का सामना करने के लिये तैयार हैं । श्री खाडिलकर को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये ।

SHRI RAMAVTAR SHASIRI (Patna) : The Aligarh University issue should be discussed in the House some day. An enquiry should be held so that the situation may not turn grave.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को इस बारे में मेरी कठिनाई को भी समझना चाहिये । सभी ध्यान आकर्षण प्रस्तावों को स्वीकार करना कठिन है । उसमें से एक का चयन करना भी कठिन है । आशा है आप मेरी कठिनाई समझेंगे ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Kindly ask your Secretariat to inform the members as to which Call Attention has been admitted by you.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप किसी विशेष दिन के लिए एक से अधिक ध्यान आकर्षण प्रस्तावों को महत्वपूर्ण समझ सकते हैं । लेकिन आप एक से अधिक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक दिन में स्वीकार नहीं कर सकते । आप प्रस्ताव को चुन लें और इसकी सूचना सम्बद्ध सदस्यों को दे दें ।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत उचित मांग है । मैं ऐसा कर सकता हूँ ।

श्री राजबहादुर : शिक्षा मंत्री आई० आई० टी० के बारे में 28 तारीख को वक्तव्य देंगे ।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास अधिकार विधेयक

MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY BILL

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० सी० जार्ज) : मैं श्री एल. एन. मिश्र की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि संघ के नियन्त्रणाधीन समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिये एक प्राधिकार की स्थापना का तथा उस से संसद विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि संघ के नियन्त्रणाधीन समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिये एक प्राधिकार की स्थापना का तथा उससे संसद विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री ए. सी. जार्ज : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

सामान्य बजट, 1972-73 सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET, 1972-73—GENERAL DISCUSSION—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम बजट पर सामान्य चर्चा करेंगे । मंत्री महोदय कब उत्तर देंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मुझे बताया गया है कि मुझे साढ़े चार अथवा 5 बजे उत्तर देना होगा । साढ़े चार बजे का समय ठीक रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री के. आर. गणेश अपना भाषण जारी रखें ।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के. आर. जोशी) : बजट के प्रस्तावों की इस संबन्ध में आलोचना की गई है कि नियमित क्षेत्र छोड़ दिया गया है । इस बात का मूल्यांकन गतवर्ष किये गये परिवर्तनों को देखते हुए करना चाहिये ।

राष्ट्रीय नीति अर्थ-व्यवस्था की तेजी से प्रगति करने की है । हम सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं और हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं ।

हमें सरकारी क्षेत्र को मजबूत बनाना है । इस क्षेत्र में कुल 5400 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी लगाई गई है । 97 सरकारी उपक्रमों के अतिरिक्त 14 और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं अथवा उन पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय असमानता दूर करने और एकाधिपतियों के सामाजिक और आर्थिक शक्तियां कम करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किये हैं ।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन लाने की समस्या है, माननीय सदस्य को विदित है कि प्रधानमंत्री ने एक नया निर्णय लिया है कि राज्यों में भूमि सुधार कार्य तेजी से किया जाना चाहिये और नई सरकारें इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये बाध्य हैं।

सरकार का यह अनुभव रहा है कि 1962 से, जब से सरकारी निवेश में कमी हुई, औद्योगिक प्रगति रुक सी गई है। सरकारी निवेश और औद्योगिक प्रगति किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। सरकारी निवेश में वृद्धि होने से अर्थ व्यवस्था में तेजी से वृद्धि होगी।

बजट में आत्मनिर्भरता और सामाजिक विनियोजन पर जोर दिया गया है। देश में रोजगारी को प्राथमिकता देने और मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये आवश्यक प्रशासनिक तंत्र को तैयार करना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां बहुत अधिक गरीबी है सुधार करना होगा। उनके लिये न्यूनतम निर्वाह स्तर बनाना होगा।

माननीय सदस्यों ने संसोधनों के बारे में भी उल्लेख किया है। भारत जैसे बड़े देश में वित्त मंत्री को संसाधनों का मुख्य रूप से सामना करना पड़ता है।

जैसा कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि यह बजट विश्वास और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यदि सभी प्रगतिवादी और लोकतांत्रिक शक्तियां मिलकर सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये आवश्यक साधन जुटाये तो देश निश्चय ही प्रगति करेगा ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री एस. एस. संजीवराव (काकीनाडा) : इतना साहसिक और कल्पनाशील बजट प्रस्तुत करने के लिये वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास, बंगला देश की सहायता करना, नष्ट हुई सैनिक सामग्री की पुनः पूर्ति करना और इस प्रक्रम युद्ध के पश्चात् भारी रक्षा परिव्यय के लिए धन की व्यवस्था करना कोई कम उपलब्धियां नहीं हैं। इसके लिए हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए।

वित्त मंत्री ने अतिरिक्त कराधान द्वारा 375 करोड़ रुपये के घाटे में बजट को 240 करोड़ रुपये के घाटे का बजट कर दिया है।

प्रस्तुत बजट विकास प्रधान है। बजट में प्रत्यक्ष कर न लगाकर अप्रत्यक्ष करों को भी कम से कम लगाया गया है और साथ ही निवेश को भी काफी बढ़ाया गया है।

चालू वर्ष आसाधारण तूफानों और बोन का वर्ष रहा है। इस वर्ष के दौरान सरकार की शरणार्थियों पर 360 करोड़ रुपये और रक्षा पर 1400 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े हैं। मैं समझता हूं कि निर्धनता को दूर करने के लिये आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। वर्तमान सामाजिक तनाव के वातावरण में केवल उत्पादन में प्रगति ही काफी नहीं है इसके साथ-साथ सामाजिक न्याय की भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आगामी वर्ष योजना परिव्यय में 3793 करोड़ रुपये रखे गये हैं जबकि इसके लिए इस वर्ष 3263 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

यदि आय में वृद्धि नहीं होती तथा प्रगति दर घटती है तो इसका मुख्य कारण उत्पादन क्षमता को, जो बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, उपयोग में न लाना होगा। रिजर्व बैंक ने बताया कि देश में पूंजीगत तन्त्र का 35 प्रतिशत भाग प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। अतः आर्थिक प्रगति को प्राप्त करने के लिये निश्चित रूप से एक नया तरीका तैयार करने की आवश्यकता है।

उर्वरको तथा विद्युत चलित पम्पों पर लगाया गया शुल्क किसानों पर भार सिद्ध होगा और इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में कमी होगी। हाल के वर्षों में उर्वरकों की खपत में 25 से 30 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होती रही है। उत्पादन शुल्क को 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत बढ़ाने से अब उर्वरक छोटे किसानों की पहुंच से बाहर हो जायेंगे।

वित्त मंत्री ने प्रौद्योगिकी प्रधान विभागों के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की है। परमाणु और अन्तरिक्ष अनुसन्धान कार्यक्रमों के लिये वर्ष 1972-73 में वर्ष 1971-72 की तुलना में 30 करोड़ रुपये अधिक निर्धारित किये गये हैं। ऐसी विज्ञान तथा औद्योगिकी में नये मार्ग ढूढ़ने तथा प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करने को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है।

इलैक्ट्रॉनिक्स पर केन्द्रित रहने के कारण ही जापान इतनी प्रगति कर सका है।

इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है जिससे न केवल कारखाने खोले जा सकें बल्कि उनका विस्तार भी किया जा सके।

SHRI BIRENDER SINGH RAO (Mahendragarh) : The Budget has completely belied the expectations of the people. They were hoping that the Budget would contain some schemes for the removal of poverty. But there is nothing of this kind in this Budget and as in the past it will only add to the miseries of the people.

It is difficult to agree that this is a budget of confidence. He may have confidence in himself. But the confidence of the people has been completely shaken by the last year's performance of the Government. Although a sum of Rs. 50 crores was allocated for rural employment; yet only Rs. 13 crores have been spent. This time Rs. 240/- crores have been allocated for this purpose but nothing could be said about its spending.

Nothing has been mentioned in the budget regarding free education to children upto the age of 14 years. The Ruling Party does not want to implement the directive principle in the regard because it is a fraud that if the people become educated it will be difficult for any one party to win the elections.

The hon. Minister has forwarded a strange logic in regard to the increase of tax on kerosene oil, the fuel used by the common people. According to him increase in tax on kerosene is a measure to check mixing of it into diesel oil. If this is the only mean to check adulteration with the Government, they will have to impose taxes on all the commodities. Sir, being a farmer you must be knowing the economic conditions of the farmers in the villages. They have to pay more money in the form of land revenue, betterment levy, development levy etc. The rates of electricity are higher for agricultural purposes than that of industrial use. The burden of small saving is ultimately borne by the farmers. Apart from these things Government have also increased tax on kerosene and fertilisers. It would prove to be a divastating step for the farmers.

Procedure regarding tax assessment on Tobacco is highly defective. Tobacco Inspectors assess the rate of tax on the standing crop of tobacco rather than on the actual production of tobacco as a result of which the production of tobacco is decreased. This procedure should be changed. I also suggest in this regard that the excise duty on tobacco should be transferred to the State and it should be made a State-subject. I strongly oppose the increase of duty on unmanufactured tobacco, kerosene and electric pumps. In view of the potentiality in earning foreign exchange the proposal increase in duty on tobacco should be withdrawn immediately.

The prices of the goods have been increasing. Since this is a deficit budget involving Rs. 250 crores, price rise cannot be checked in future also. In view of the stable Governments in States and the Centre I would like to demand from the Prime Minister that she should fulfil her promise regarding the payment of Rs. 10 crores as grant and Rs. 10 crores as loan to Haryana for building a new Capital. Prime Minister should discuss the issue of Chandigarh with the Chief Ministers of Punjab and Haryana. Payment of grant and loan should also be made as soon as possible otherwise the cost of construction of a new Capital would increase and the amount would not serve the purpose. They have not since decided to appoint the commission to find out the solution of boundary disputes.

श्री श्री. आर. कावड़े (नासिक) : अध्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थन करता हूँ। इस बजट में योजना परिव्यय में लगभग 484 करोड़ रुपयों की वृद्धि की गई है।

अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों के अतिरिक्त बजट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कीमतों में स्थिरता लाना है। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में गेहूँ, कपास, चीनी आदि के मूल्यों में भारी अस्थिरता रही है। जहाँ तक चीनी का सम्बन्ध है यदि किसान अधिक गन्ना उगाता है तो कारखाने उस सभी को पेरने में असमर्थ रहते हैं तथा किसान को हार का शेष गन्ने का गुड़ या खण्डसारी बनाना पड़ता है जिसका बाजार नहीं होता है। इस प्रकार उसे घाटा रहता है तथा अगले वर्ष वह गन्ना की काश्त कम कर देता है।

यही स्थिति कपास की भी है। पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात के किसान सरकार का दरवाजा खटखटाते रहे हैं किन्तु उनके उत्पादन का कोई खरीदार ही नहीं है। परिणामतः मेरा अनुमान है कि अगले वर्ष कपास की खेती कम हो जायेगी। तथा कपड़े इत्यादि के मूल्य बढ़ जायेंगे। किसानों को हमारे देश में मूल्य-गारन्टी प्राप्त नहीं है जिसकी उसे अत्यंत आवश्यकता है। इस अव्यवस्था का हमारे बजट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। समाचार पत्रों के अनुसार कृषि उत्पाद मूल्य आयोग के प्रतिवेदन में गेहूँ के वसूली मूल्य को 76 रुपए से घटाकर 72 रुपया करने की सिफारिश की गई है। दूसरी ओर उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि की जा रही है। इस स्थिति में गरीब किसानों के हितों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी मैं नहीं जानता। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये किसानों की कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिये।

बजट का दूसरा उद्देश्य सामाजिक न्याय दिलाना है। इस उद्देश्य के लिये सरकार 240 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। छोटे तथा मार्जिनल किसानों की प्रगति के लिये बनाई गई योजनाओं पर व्यय की राशि क्रमशः 6 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये तथा 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये की गई है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये इस बात का पूरा ध्यान रखना

होगा कि नियत की गई राशि का पूरा-पूरा उपयोग किया जाये। विभिन्न स्तर के कार्यालयों में समन्वय न होने के कारण बहुत से कार्यक्रमों पर निर्धारित राशि खर्च नहीं की जा सकी।

उत्तर प्रदेश में किये गये गैर सरकारी सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि वहां पर केवल 35 प्रतिशत मजिनल किसानों को ऋण उपलब्ध हो सका है। यदि यही स्थिति रही तो कार्यक्रमों में बाधा आयेगी तथा उनकी क्रियान्विति नहीं हो सकेगी।

बारानी खेती वाले इलाकों में भी कार्यक्रमों को उचित रूप से लागू नहीं किया गया है। केवल धन नियत करने से काम नहीं होगा। सरकार को कार्यक्रमों की पूर्ण क्रियान्विति पर भी उतना ही बल देना चाहिये। जितना धन नियत करने पर दिया जाता है।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति और शिक्षित बेरोजगारों के रोजगार दिलाने का प्रश्न है, इस कार्यक्रम पर पिछली बार 75 करोड़ रुपये खर्च नहीं किये गये। यह खेद का विषय है। धन उपलब्ध होने पर भी यदि ऐसी गम्भीर समस्या पर उसे व्यय नहीं किया जाता तो योजनाएं बनाने का कोई अर्थ नहीं है।

ग्रामीण बिद्युतीकरण के लिये बजट में 11 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 17 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। मैं सरकार की इस बात के लिये सराहना करता हूं। किन्तु यदि इस धनराशि का आदिवासी क्षेत्रों तथा कमी के क्षेत्रों में पूरा पूरा उपयोग नहीं किया गया तो समाज का कमजोर वर्ग पिछड़ा ही रह जायेगा। ऐसे क्षेत्रों के लिये लाभ और घाटे को ध्यान में नहीं रखना चाहिये अपितु इस दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिये कि इन पिछड़े वर्गों का उद्धार करना है।

आत्म-निर्भरता पर अधिक बल दिया जा रहा है तथा आयातित वस्तुओं के स्थान पर देश में निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि पर बल दिया जा रहा है। इस समय हमारा इस्पात उद्योग क्षमता से कम उत्पादन कर रहा है। सरकार ने स्वायत्त शासी नियमों तथा कम्पनियों पर 4081 करोड़ रुपये खर्च किये हैं किन्तु उनका कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं है। वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यत ब्यूरो के अनुसार योग्य तकनीशियन सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा अन्य स्थानों पर जाना पसन्द करते हैं। अतः उद्योगों के विकास के लिए कुछ कदम तुरन्त उठाये जाने चाहिये। यदि सरकार भगवती समिति की सिफारिश को स्वीकार कर ले तो सूती कपड़ा उद्योग तथा अन्न संकटग्रस्त उद्योगों की हालत सुधारी जा सकती है। इस्पात की मांग को ध्यान में रखते हुये सरकार ने विजशखापटनम, होस्पेट और सलेम में तीन इस्पात कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया है। यदि सभी पहलुओं पर ध्यान देकर कार्य किया जाये तो इस बजट से देश में अवश्य प्रगति होगी।

यद्यपि शहीदों के परिवारों तथा घायल सैनिकों की देखरेख के लिये पर्याप्त धनराशि नियत की गई है तथापि राज्य स्तर पर इस कार्य के लिये कोई मंत्रालय नहीं बनाया गया है। मैंने इस विषय में महाराष्ट्र सरकार से निवेदन भी किया है। इस बजट के लिये सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुये मेरा विश्वास है कि यदि योजनाओं को पूरी तरह क्रियान्वित किया गया तो देश में अच्छी प्रगति होगी।

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : बजट का समर्थन करते हुये मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हम अग्नि परीक्षा में सफल हुये हैं। हमने बंगला देश से आये एक करोड़ शरणार्थियों का भार सहा तथा पाकिस्तानी आक्रमण होने पर अपनी सुरक्षा भी की।

मैं इस तथ्य को कभी नहीं भूल सकता कि हमने विश्व को दिखा दिया कि हमारा राष्ट्र परिपक्व है तथा धर्म निपेक्षता में पूरी तरह विश्वास रखता है। हमें श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व पर गर्व है जो वास्तव में दलितों और मानव जाति का नेतृत्व करती हैं।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के अवसर पर अरब देशों ने चुप्पी साधे रखी किन्तु हमारे विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अरब के अधिकृत भूभाग से इसराइली सेना के हटाये जाने की आवाज बुलन्द की। हम यह बात भी नहीं भूल सकते कि यद्यपि चीन पाकिस्तान को शस्त्र दे रहा था किन्तु भारत चीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाये जाने की आवाज उठा रहा था। अतः स्पष्ट हो जाता है कि हम वास्तविकताओं को समझते हैं।

इस वजट में योजना परिव्यय में वृद्धि की गई है तथा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के उपाय भी किये गये हैं। अन्य शिक्षित बेरोजगारों के देश में लगभग 77,700 इन्जीनियर बेरोजगार हैं। यदि इन योजनाओं को उचित रूप से क्रियान्वित किया जा सका तथा धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सका तो देश के करोड़ों व्यक्तियों को निश्चित रूप से रोजगार मिल सकेगा।

देश की लगभग 70 प्रतिशत जनता की मासिक आय 19 रुपया है। गांधी जी ने खादी पर बहुत बल दिया था किन्तु अब मोटा कपड़ा पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। मेरा सुझाव है कि ग्राम जनता के उपयोग की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिये जिससे उन्हें सभी वस्तुयें उचित मूल्य पर मिल सकें। इस दिशा में अभी तक ठोस उपाय नहीं किये गये हैं।

वांचू समिति के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1968-69 में 6400 करोड़ रुपयों का कर अप-बंचत हुआ। उसके अनुसार देश में 7,000 करोड़ रुपया काला धन है। इसके अतिरिक्त 550 करोड़ रुपयों का कर वसूल नहीं हुआ। इस मामले में सरकार को अवश्य ही कठोर कदम उठाने चाहिये।

बैंक राष्ट्रीय करण के समय आशा की गई थी कि निम्नवर्ग को कुछ लाभ होगा किन्तु वह आशा पूरी नहीं हो सकी है। श्री शमीम से यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि काश्मीर को आवश्यकता से अधिक दिया गया है। मेरे विचार से काश्मीर को पर्याप्त सहायता भी नहीं मिली। पंजाब में वहां के मजदूरों को मैंने कहते सुना है कि इन काश्मीरियों ने यहां आकर हमारी मजदूरी भी घटा दी है। ये वही काश्मीरी हैं जिनके पास आधे-आधे एकड़ भूमि है तथा जो लगान भी नहीं दे पाते हैं।

सलाल परियोजना को ध्यान में रखकर सम्भवतः केन्द्र सरकार ने औद्योगिक विकास के लिये बिजली का पर्याप्त प्रबंध नहीं किया है। मेरा निवेदन है कि सलाल परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाये। लोअर झेलम और अपर सिंध की योजनाओं को भी शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये जिससे वहां औद्योगिक विकास सम्भव हो सके।

श्री शमीम ने हमारी प्रजातंत्र प्रणाली और बंगला के प्रति हमारे रवैये को धोखा बताया क्योंकि जनता ने उनका विरोध किया तथा विधान सभा के चुनाव में उन्हें केवल 70 मत मिले।

अध्यक्ष महोदय : इन बातों को यहां उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये। आप बजट पर बोलिये।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : श्री शमीम ने बजट पर बोलते हुये इन सभी बातों का उल्लेख किया था। जब उन्हें अनुमति दी गई तो श्री आगा को भी अनुमति मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : खेद है मैं उस समय यहां विद्यमान नहीं था। इसलिये मुझे कुछ पता नहीं फिर भी किसी गलती को दुहराना उचित नहीं है।

श्री सैयद अहमद आगा : श्री शमीम ने केवल कांग्रेस पार्टी को ही बदनाम नहीं किया बरन् भारत सरकार पर भी दोष लगाये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि श्री शमीम को ऐसी बातें कहने दी गई।

श्री सैयद अहमद आगा : मैं पुरानी बातें बताना चाहता हूं। शेख साहेब के जमाने में चुनाव हुए ही नहीं। 1951 में 73 सीटें निर्विरोध मिली। 1957 के चुनावों में 43 सीटें निर्विरोध मिली। 1972 में हमने 74 सीटों में से 69 सीटों के लिये चुनाव लड़े तथा कांग्रेस को 57 सीटें मिली।

श्रीनगर में 14 सीटों में से कांग्रेस को 8 सीटें मिलीं। शेख साहेब ने चुनावों का बहिष्कार किये जाने का आधान किया तथा 67 प्रतिशत मतदान हुआ।

MR. SPEAKER : Please Conclude now.

श्री सैयद अहमद आगा : हमने काश्मीर में 1938 में समाजवाद की ओर बढ़ने का निर्णय किया था। यह सिद्धांत पाकिस्तान के सामंतों की माननीय नहीं था। इसीलिये हमने भारत का साथ दिया। शेख साहेब ने स्वयं एक बार कहा था कि साम्राज्यवादी अपनी चाल से भारत का विभाजन चाहते हैं तथा वे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान सदा एक दूसरे के शत्रु बने रहे हैं। (व्यवधान) हमें उसकी इस चाल को समझना होगा कि पाकिस्तान की उत्पत्ति उन्हीं की चाल का परिणाम है। (व्यवधान)

मेरा पाकिस्तान से कोई द्वेष नहीं है किंतु मैं उसे यह बताना चाहता हूं कि वे काश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए भूल जायें। मतदान का बहिष्कार किये जाने पर भी 60 प्रतिशत लोगों ने मतदान में भाग लिया। इससे सिद्ध होता है कि हम इसी देश के अंग हैं तथा भारतीय हैं। श्री शमीम का यह कहना कि "यू इंडियन्स" कहां तक उचित है? क्या वह स्वयं भारतीय नहीं है? मुझे यह भी आशा है कि पाकिस्तान को एक दिन अपनी गुशियां नजर आएंगी तथा वह भारत की ओर मित्रता का हाथ बढ़ायेगा।

अन्त में मैं दिनांक 17 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित जनरल भावीमान के बक्तव्य का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान 'सेंटो' से निकट सम्बन्ध बना सकता है। वास्तव में अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान पर उसका प्रभाव बना रहे जिससे उसके हित सिद्ध होते रहें। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पाकिस्तान दुर्भाग्य से अमरीका की शरण में जा पहुंचा। अब उनकी रक्षा केवल ईश्वर ही कर सकता है। फिर भी मुझे आशा है एक दिन पाकिस्तान को अपनी भूल अनुभव होगी तथा वह भारत से मित्रता करके फलने फूलने लगेगा।

SHRI MOHAN SWARUP (Pilibhit) : It is a progressive budget envisaging financial provisions of Rs. 240 crores for social justice and Rs. 125 crores for housing facilities. Government have provided Rs. 12 crores for poor, Rs. 21 crores for nutrition programme and Rs. 72 crores for crash programme. The amount for centrally sponsored schemes has been increased from Rs. 3263 crores to Rs. 3973 crores. I hope that with these steps our country would achieve progress.

Government have increased the tax on kerosene, fertilizers and pumping sets as a result of which farmers will have to face more hardships. It will also affect the agricultural production. The procurement price of wheat is also going to be reduced from Rs. 76 per quintal to Rs. 70 per quintal. Reports have appeared in the press that the Planning Commission has calculated the annual income of farmers Rs. 6000/- per acre by producing two crops in the irrigated land. I do not know on what basis the Planning Commission and the Government has calculated this income. It is wrong to think that the farmers are having big bank balances. He can never be prosperous now in case there are no remunerative prices for his produce.

Taxes on kerosene oil and tractors may be withdrawn as the farmers are unable to bear this burden and their condition will go down if these will be realised. There is great corruption at every stage in country. In order to check the same, it will be better if sales tax is imposed at source and included in the price of the articles. There are two types of sales tax—Central Sales tax and State Sales tax. Why should it be so? I think that there should be only one tax, that is the Central Sales Tax and the States should be given their share out of it.

The farmers are very much disappointed at the functioning of the nationalized banks because they are not getting the loans according to their expectations.

Besides this, recommendations of the Wanchoo Committee about black money and the evasion should be implemented by Government without delay. We should achieve self-reliance as early as possible since dependence on foreign assistance is not in the interest of the

country. It is necessary that production in public sector units should be increased, exports augmented and new measures devised to raise our national income.

***श्री एम०एस०शिवस्वामी (तिराचेडूर) :** श्रीमान जी स्वतन्त्रता के 25 वर्ष बाद भी हमारे देश की आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त ही दिखाई देती है। बेरोजगारी की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर में कमी आ रही है। औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। देश भर में मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, जिनमें हमने 3556 करोड़ रुपये की राशि लगा रखी है, का गत वर्ष 155 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। परन्तु फिर भी इस वर्ष सरकारी क्षेत्र में 710 करोड़ रुपये की भारी राशि लगाई जा रही है।

एक लाख से अधिक ग्रामों में पीने के पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। 2 लाख गांवों में संचार की सुविधाएँ भी नहीं हैं। 12.5 लाख गांवों में अभी तक बिजली नहीं लगाई गई है। जन कल्याण योजनाओं के लिये केवल 120 करोड़ रुपये की ही राशि नियत की गई है। इस उद्देश्य के लिए अधिक राशि की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

बेरोजगारी की समस्या, दिन प्रति दिन गम्भीर होती जा रही है। आजादी के 25 वर्ष बाद भी इस समय 2 करोड़ से अधिक व्यक्ति बेरोजगार हैं। इस हेतु नियत की गयी 75 करोड़ रुपये की राशि में से केवल 3.5 करोड़ रुपये ही व्यय किये हैं।

1967-68 के दौरान राष्ट्रीय आय 9.3 प्रतिशत थी। खेद की बात है कि 5 वर्ष बाद भी राष्ट्रीय आय में केवल 4 प्रतिशत से भी कम वृद्धि होने की सम्भावना है राष्ट्रीय आय के मामले में हमारे देश का स्थान संसार में सबसे नीचे है। पिछले वर्ष हमारे देश के निर्यात में केवल 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे भुगतान का संतुलन बिगड़ जायेगा। यदि निर्यात को बढ़ाना है तो निर्यात के लिए अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

1971 में औद्योगिक उत्पादन 4.1 प्रतिशत घटा है तथा इसी वर्ष में मूल्यों में 3.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 1970-71 के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार करों की बकाया राशि 840 करोड़ रुपये हो गई है। यदि करों की 840 करोड़ रुपये की बकाया राशि को वसूल करने के लिये कारगर उपाय किए गए होते तो कच्चे तम्बाकू, उर्बरक तथा मिट्टी के तेल, जो हमारे किसानों के लिए दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ हैं, पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने की कोई

***तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।**

Summarized translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः इन करों को वापिस लिया जाना चाहिये तथा करों की बकाया राशि को वसूल करने के लिए कारगर तथा शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए।

श्री पी. बी. जी. राजू (विशाखापत्तनम) : मैं चाहता हूँ कि सरकार सहकारिता को अधिक प्राथमिकता दे क्योंकि सहकारिता समाजवाद के लिये अनिवार्य होती है। कृषि और उद्योग में सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। यद्यपि सहकारिता राज्य का विषय होता है तथापि हमें इसे सम-वर्ती विषय बनाना चाहिये, ताकि सहकारिता के क्षेत्र में पहले से अधिक केन्द्रीय सरकार का अधिकार स्थापित किया जा सके।

हमारे देश में उत्पादन और श्रम को एक साथ नहीं जोड़ा जाता। श्रम को उत्पादन के साथ जोड़ देने से हम अधिक क्षमता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इससे श्रमिक यह महसूस करने लगेगा कि औद्योगिक उत्पादन उसका अपना ही उत्पादन होता है। राष्ट्रीय उद्योगों में सरकार को श्रमिकों को उत्तरोत्तर स्वामित्व सौंप देना चाहिये। जनता द्वारा उद्योग में हिस्सों के स्वामित्व को प्रोत्साहित करने के लिये, खरीदारों से खरीदे हुए हिस्सों की सीमा तक सम्पदा कर से छूट दी जानी चाहिये।

पंचायतों को सरकारी फार्मों के गठन के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। यदि अधिक बड़े-बड़े फार्म बनाये जायेंगे, तो उनकी क्षमता भी बढ़ेगी। डेनमार्क में छोटे-छोटे फार्मों को मिला कर एक कर बिधा गया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि ऐसे ढंग से बड़े फार्म चलाये जाते हैं कि फार्मों में शेयरों के स्वामियों को संयुक्त प्रबन्ध के अन्तर्गत लाभांश दिया जाता है। इसका इस देश में परीक्षण किया जाना चाहिए।

यह उल्लेख किया गया है कि मैक्सिको किसिम के गेहूँ की खेती को अधिक जल और उर्वरक आदि साधनों की आवश्यकता होती है। इसराइल में पर्याप्त जल नहीं है और वहाँ फार्मों के लिये पानी ले जाया जाता है और वहाँ खेती इस ले जाये गये जल से की जाती है। यदि ऐसा करना इजरायल जैसे देश जो रेगिस्तानी देश है, के लिये सम्भव है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस ढंग को हम भारत में क्यों नहीं अपना सकते।

गुनार माईर्डल बहुत बड़े अर्थ शास्त्री हैं। स्वीडन में समाजवाद उनके द्वारा बताई गई रूप-रेखाओं के अनुसार लागू किया गया है। मैं सरकार से चाहूँगा कि सहकारिता को अधिक प्राथमिकता दे।

(इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर तीन मिनट पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at three minutes past Fourteen hours of the clock)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)
(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

श्री पी. बी. जी. राजू : भारत सरकार ने कोचीन तेल शोधन शाला में 51 प्रतिशत पूंजी लगाई है। 25 प्रतिशत हिस्से अमरीकन तेल कम्पनी फिलिप्स पेट्रोलियम के हैं और 24 प्रतिशत हिस्से जनता द्वारा लिए गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं सुझाव दूंगा कि विदेशी कम्पनियों को तेल की खोज का काम दिया जाना चाहिये और उसके आधार पर उन्हें लाइसेंस दिये जाने चाहिए, जैसा कि फिलिप्स के मामले में किया गया है। 25 प्रतिशत हिस्से बहुत कम हैं, उन्हें अधिक प्रतिशत हिस्से दिये जाने चाहिये। परन्तु केवल 20 वर्ष के लिये ही ऐसा किया जाना चाहिये, जिसके पश्चात् उन्हें केवल 25 प्रतिशत हिस्से स्वीकार करने चाहिये और उनपर सरकार का नियंत्रण रहना चाहिये।

SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR (Durg) : The Government and the Jawans deserves to be congratulated for victory in the recent Indo-Pak war. Victory on poverty is more difficult than victory in the battlefield. Eradication of poverty in the country is not an easy task. Fortunately the plan allocations made in the budget this year indicate that Government is determined to solve this problem also and increase production.

The funds earmarked last year for implementation for crash programmes to solve the problem of unemployment were not fully utilised, which is rather very regrettable. The responsibility of making arrangements for full and proper utilisation of the funds allocated rested on the State Governments and since the ruling party at the centre is now in a majority in the States also, there should be no difficulty in this respect. The Planning Commission is also responsible to see as to what scheme, should be formulated to solve this problem.

There should be a multipurpose demonstration farm for every 10 lakh people in the rural areas, which should cater to all the requirements connected with agriculture. It should also demonstrate agricultural operations for benefit of the farmers. On the same pattern, an industrial estate should also be established for every 5 to 10 lakh people, where educated unemployed will receive training for some vocations. Arrangements should also be made for the marketing of the products manufactured by these people.

Factories are being established in backward areas that the people living in those areas are not getting employment in those factories on the plea that they are illiterate and semi-skilled. Therefore, whenever any scheme to establish any factory in any backward area is formulated, arrangements should also be made to impart necessary training to the people of that area so that they could get employment.

There is tax on kerosene oil which should be withdrawn. In the same way, tax on fertilisers and pumping sets is also not desirable as it will impose further burden on the small farmers and retard agricultural production. It is generally observed that taxes levied on a few specific items but the traders always increased prices of almost all the articles. Such unscrupulous traders should be brought to books and punished.

According to Wanchao Committee black money worth Rs. 7000 crores is in circulation in the country. It is not known as to how committee arrived at this figure. Demonetisation of currency appears to be necessary to solve this problem.

There is great fall in the growth of industrial production. The reasons for this fall should be investigated and reported. Licensing policy for industries need also to be revised.

डा० हेनरी आस्तिन (एरणकुलम) : मैं वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट का स्वागत करता हूँ क्योंकि इसमें कर भार बहुत हल्का रखा गया है और इसे बहुत सोच समझ कर तैयार किया है। इस बजट में जन साधारण को लगभग अछूता छोड़ दिया गया है तथा धनी और खुश किस्मत लोगों पर ही कर भार बढ़ाया गया है।

अर्थ व्यवस्था की कुशल व्यवस्था के कारण ही वित्त मंत्री केन्द्र द्वारा प्रायोजित तथा राज्यों की योजनाओं के लिये 710 करोड़ रुपये से अधिक राशि की व्यवस्था कर पाये हैं। वित्त मंत्री ने समाज कल्याण सम्बन्धी योजनाओं और भावी विकास योजनाओं के लिये नियतन में पर्याप्त बृद्धि की है। जिसके लिये वे बघाई के पात्र हैं।

हमारे देश ने बंगला देश से आये शरणार्थियों के भरण पोषण के भार के ऊपर सरकार को नहीं दुत्कारा क्योंकि इनकी सहायता मानवीय भावनाओं से प्रेरित थी।

पाकिस्तानी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिये भी हमारे लोग गौरवोन्त हैं। वित्त मंत्री ने बजट में इस वर्ष के लिये भी सुरक्षा जरूरतों के लिये 166 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

आज विश्व में भी अधिकाधिक समन्वय के लिये प्रयास जिये जा रहे हैं चाहे वह परिचय यूरोप में हों अथवा समाजवादी देशों में अथवा यूरोपीय आर्थिक समुदाय हो। वे केवल राष्ट्रीय समन्वय के लिये ही प्रयास नहीं कर रहे हैं अपितु व्यापक समन्वय के लिये भी प्रयास कर रहे हैं। अतः हमें ध्यान रखना चाहिये कि हमारे समय की चुनौती यह है कि उद्देश्यों में एक रूपता हो ताकि बजट के इन प्रावधानों को क्रियान्वित किया जा सके।

समाज कल्याण तथा अन्य विकास-कार्यक्रमों के लिये बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। किसी विशेष क्षेत्र की परियोजना का क्रियान्वित करने के लिये वहां के लोगों—पंचायत से लेकर संसद के किसी सदस्यों तक का सहयोग होना चाहिये।

हमारे विकास-कार्यक्रमों के लिये विदेशी सहायता मुश्किल से 15 प्रतिशत रही है परन्तु कुछ लोगों ने इसे बढ़ा-चढ़ा कर बताने का प्रयास किया है। हमें आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये अप्रयुक्त औद्योगिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिये उपाय करने होंगे।

कृषि क्रांति के लिए हमें जो उपाय करने थे, वे नहीं किये गये हैं। इतना कहना ही काफी नहीं है कि हमारे पास फालतू अनाज है हमें अपने भोजन के लिए संतुलित भोजन के सिद्धांत पर आधारित अन्य क्षेत्रों में भी विकास करना होगा। कृषि वैज्ञानिकों ने इन क्षेत्रों में नई तकनीक का विकास किया है।

कृषि वैज्ञानिकों ने शुष्क खेती के लिये नई तकनीक का भी विकास किया है। बारानी खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये इस कार्य के लिये कृषि स्नातकों से लाभ उठाने के लिये 25 अथवा 50 एकड़ भूमि आबंटित की जानी चाहिये। इस कार्य से कृषि वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिलेगा।

हम शीघ्र ही स्वाधीनता की रजत जयंती मनाने जा रहे हैं। परन्तु आज भी गांवों के छोटे भाग में जल सप्लाई की कमी है। मेरे विचार से वहां जल की सप्लाई के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। परन्तु इस कार्य के लिये पंचायत के सदस्यों, विधायकों तथा संसद् सदस्यों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।

शिक्षित बेरोजगारों की समस्या का समाधान करने के लिए कृषि स्नातकों तथा आई.टी.आई. डिप्लोमा धारियों को कृषि पर औद्योगिक एकक आरंभ करने के लिये अवसर प्रदान किये जाने चाहिये।

प्रारंभिक सर्वेक्षण से पता लगा है कि केरल में, विशेषकर कोचीन के तट दूर क्षेत्र में, तेल निकलने की काफी संभावना है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

एरणाकुलम में जेट विमानों के लिये उचित हवाई अड्डा नहीं है। वहां इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये।

केरल में काजू, काली मिर्च जैसी नकद फसलों के मूल्य कम हो रहे हैं। केरल सरकार ने नारियल जटा को उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिये 1.5 करोड़ रुपये के ऋण के लिये अनुरोध किया है। इस पर विचार किया जाना चाहिये।

मैं रेल मंत्री तथा रक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि केरल जैसे औद्योगिक रूप से पिछड़े प्रदेश में कुछ बड़ी परियोजनाएँ आरंभ की जायें।

वित्त मंत्री ने करों के भार को इस प्रकार से डाला है ताकि किसी को कोई असंतोष न हो। फिर भी मिट्टी के तेल पर जो कर लगाया गया है उसे वापस लिया जा सकता है क्योंकि लाखों लोग मिट्टी के तेल से अपने घरों में रोशनी करते हैं।

SHRI CHANDRIKA PRASAD (Ballia) : Certain measures have been taken to remove the shortcomings in steel and fertilizer industry in this budget.

Heavy doses of taxation have not been proposed in this budget. A sum of Rs. 125 crores has been provided in the budget for schemes for the welfare of farmers and the unemployed. Although there are provisions in the budget for the poor and the farmers, there is no agency to look after the proper utilisation of the money. For example, during the recent flood in Uttar Pradesh, the amount of relief could not reach to the actual victims. The administrative set up needs a change otherwise the money cannot be properly utilised.

I am sorry to say that tax on keaosene oil is not proper. The Finance Minister should withdraw it.

Government should give a second thought to the tax on tractors, fertilizers, pumps and aluminium.

Although an additional amount of Rs. 700 crores has been provided in the budget, the Government has not fixed a percentage for its allocation in backward or underdeveloped

regions. Uttar Pradesh is one of the most backward regions in our country. Government should ensure that a certain percentage of the above allocation is spent on the development of U. P. so that regional imbalance can be removed. The consumption of electricity in India is 90 percent whereas in Uttar Pradesh it is 52 percent. The Government of India proposed to instal an atomic energy station at Nanaura but the Select Committee is not giving clearance.

Clearance to Tehri project should be given quickly. A 400 megawatt Thermal Power Project should be given to U. P. to meet its needs.

In U. P. there are certain flood-affected areas viz. Ballia, Azamgargh, Ghazipur etc. I suggest that crop insurance scheme should be introduced there.

The schemes like marginal farmers scheme for backward areas are not proving helpful. Training should be imparted to the people of those areas.

There is disparity in the prices of sugar. It should be removed.

The money allocated for crash programmes is not being utilized.

Nationalized banks are not functioning properly. Loans are not being advanced to small peasant, labourers, shop-keepers. Loan should be given on basis of personal security or through cooperatives.

उपध्यक्ष महोदय : मानीय सदस्य अन्य सदस्यों द्वारा कही गई बातों को न दोहरायें । कोई नई बात हो तो करें ।

SHRI SHIVNATH SINGH (Jhunjhunu) : A Budget which is prepared by bureaucrats cannot bring about any change. No new taxes have been imposed but does this budget fulfil the aspirations and expectation of the people who gave majority to the Congress Party ?

No heed has been paid to our priorities. Take an example of Delhi. 80 percent people live in dirty huts where no facility is available.

Government should see that more hospitals and dispensaries are opened in villages and experienced doctors are sent there.

The increase in foodgrains is taken as burden by the Minister of Finance. Why ? It is only because of the transportation of the buffer stock. There should be state trading in foodgrains. On the one hand the Government seeks to ameliorate the lot of the farmers but on the other they have imposed taxes on fertilizers, pumping sets and tractors etc. I would like to cite an example of Rajasthan where people have to bring drinking water in pitchers on their heads from distant places. Arrangement for supply of drinking water may be made.

People in rural sector are not able to get loan from nationalized and commercial banks. Electricity is consumed by the industries and the farmers cannot consume it. Rural electrification schemes should be implemented on war footing.

It is beyond the potency of any State Government to arrest the expansion of desert. A Commission should be appointed and this work should be taken up on national basis.

Plots of land should be made available to the landless in villages for construction of houses. We raised slogan of removing unemployment. This problem should be tackled seriously.

The Rajasthan canal scheme should be taken over as national project. Funds should be provided for its early implementation.

Tax on kerosene oil, pumping sets, fertilizers should be withdrawn. Finished goods should be taxed instead of raw tobacco.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : Much has been said about the green revolution but is it fact that everyone is able to get a square meal a day ? Foodgrain is available in market but the purchasing power of people is low. The per capitarate of consumption of foodgrains in the country is also lower as compared to that of other countries of the world. Government should see that the production of foodgrains is increased even more.

Government should not impose any tax on agriculture income. Tax on agricultural income was imposed in Andhra Pradesh but later on it had to be withdrawn.

It is wrong to say that rural sector has become prosperous. The condition of most of the villages is still miserable.

Even now the Pathan money lenders exploit the poor and innocent villagers. They charge excessive rate of interest from the villagers on the money advanced by them. Inspite of a legal provision, these people are operating freely in every town and village. Government should look into it. Indians are being repatriated from Ceylon and Burma but Government are giving protection to these people.

SHRI DHARAMRAO AFZALPURKAR (Gulbarga) : In view of the flood situation, refugees' influx and Indo-Pak war last year, the Minister of Finance had to present budget thrice in order to impose more taxes to tackle the problems. Now the refugees have returned to their homes, the special levies should be withdrawn.

An additional sum of Rs. 710 crores has been allocated in the budget. But our experience shows that only 22 per cent of the total allocation has been spent during the last three years. Only the allocation of additional sum will not be able to solve the problem.

On the one hand much talk is going on about the green revolution but on the other-hand taxes are being imposed on pumping sets, aluminium etc.

There has been very little or no return from the investment of Rs. 4000 crores made by the Government in public sector. No action is being taken in this regard.

In many villages drinking water is not available. During rainy season, villagers in coastal villages have to bring water from distant places. Drinking water should be made available to them to achieve the goal of socialism.

A sum of Rs. 240 crores and Rs. 125 crores have been allocated for social welfare and water supply etc. respectively. We talk much about primary education. Government should pay due attention towards primary education.

The amount allocated in the budget for various schemes should be spent properly.

The Government should establish a University in my constituency—Gulbarga.

Government should withdraw tax on kerosene oil, fertilizers, pumping sets, raw tobacco etc.

Industries should be decentralized and established at such places where there is no industry.

श्री डी. डी. देसाइ (कैरा) : जिन परिस्थितियों के अन्दर यह बजट लाया गया है, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

अब 1970 के 4.8 प्रतिशत विकास पर तथा 1971 में 3.5 प्रतिशत के औद्योगिक विकास के आधार पर इतने टन उत्पादन नहीं हो सकता था इसलिए यह माना जाता है कि मुद्रा-स्फीति के कारण उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है। अतः हम चाहते हैं कि भविष्य में बजट के आंकड़े धनराशि में न देकर मात्रा में दिये जायें क्योंकि मुद्रा तो प्रतिवर्ष मुद्रा-स्फीति की ओर उन्मुख रहती है। इसलिए जब तक “स्फीति भत्ते” की व्यवस्था नहीं की जायेगी समस्त मूल्यांकन अवास्तविक ही रहेगा।

वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट को रूपरेखा उत्पादन की गति तेज करने, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता, पूंजी निवेश तथा संशोधन उपलब्ध करने की दृष्टि से तैयार की गई है। हम चाहते हैं कि इस की जांच हो कि उक्त लक्ष्य प्राप्त होते हैं अथवा नहीं।

वित्त मंत्री ने सभी तरह के कराधान के अतिरिक्त धन स्रोत के कई अन्य विकल्प भी जुटाये हैं। परन्तु पुनः मूल्यांकन का एक दायित्व और भी दें। जहां हम आय में वेतन के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता भी शामिल करते हैं वहां हम मुद्रा-स्फीति भत्ता देते नहीं हैं जिसके फलस्वरूप हमें उसी राशि अथवा संपत्ति पर बार बार कर देना पड़ता है। पहले औद्योगिक मशीनरी तथा साज-सामान पर विकास रियायत मिलती थी जिसमें 25 प्रतिशत स्फीति भत्ता भी शामिल होता था।

ठेकेदारों तथा ठे उप-केदारों से क्रमशः 2 तथा 1 प्रतिशत कर लेना उचित दिशा में कदम है। प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों पर से 8 प्रतिशत की कटौती कटा देने से भी भविष्य में सभी उद्योगों को एक समान दर्जा मिल जायेगा। इसके अतिरिक्त कंपनियों पर लगाये गये 5 प्रतिशत अधिकार से भी आगामी वर्षों में राजस्व बढ़ेगा।

वस्तुतः इस बजट में आपके सभी संसाधन जुटाये गये हैं परन्तु अपनी और बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने तथा नये नये दायित्वों को निभाने हेतु हमें अपनी अर्थ व्यवस्था के विकास की गति तेज करनी होगी और उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। इसी से हमारी आय वृद्धि होगी।

कर के पश्चात् बचत राशियों में बहुत कमी हो गई है और भविष्य में अतिरिक्त राजस्व के लिये अन्य स्रोत खोजने होंगे और संभव है इसके लिये ऋण लेने पड़ें ।

इस बजट की एक अन्य अच्छी बात यह है कि छोटे उद्यमों के लिये सम्पदा कर में 1.5 लाख रुपये तक की छूट दी गई है । यह कदम प्रशंसनीय है क्योंकि उद्यम संबंधी आधार को व्यापक बनाया जाना चाहिये ।

वांचू समिति ने कर-सीमा को 75 प्रतिशत तक सीमित करने की सिफारिश की है हालांकि स्वीडन जैसे समाजवादी तथा जर्मनी जैसे शीघ्रता से विकसित हो रहे देशों में यह सीमा और भी कम है । जापान में यह सीमा केवल 60 प्रतिशत है ।

सरकार द्वारा किये गये पूंजी निवेश मूल्य-विश्लेषण पर आधारित नहीं है । यह सुनिश्चय करने के लिये मंत्रालय में हाथ कक्ष बनाया जाये कि क्या पूंजी-निवेश पर पर्याप्त काम हो रहा है अथवा कि ये निवेश ही स्वयं भार बनते जा रहे हैं ।

श्री के० एम० चावला (पाटन) : श्रीमन् सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : घण्टी बजाई जा रही है ।... अब सभा में गणपूर्ति है । माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री डी० डी० देसाई : सरकारी क्षेत्र के एककों को सामाजिक बचते करनी चाहिये क्योंकि इन में जनता की गाढ़ी कमाई लगी होती है । हम अपने अनुमान के अनुसार बचते नहीं कर पाये हैं ।

मुख्यतः परिव्यय-पूंजी उधार लेकर निवेद्यत की जानी चाहिये जबकि हम अभी तक राजस्व में से लेकर ही पूंजी-निवेश करते रहे हैं । इस पर किसी सीमा तक प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त एक प्रबंध के अधीन 500 से 1000 कर्मचारी ही होने चाहिये । इससे अधिक नहीं । सरकारी कारखानों को अत्यधिक व्यापक नहीं होना चाहिये ।

सामाजिक व्यवस्था में हमें लोगों को नौकरियों की ओर नहीं प्रत्युत स्वयं नौकरियों को लोगों की ओर प्रवृत्त करना चाहिये । आज लिपिक तो बहुत मिल जाते हैं परन्तु कुशल कारीगर बहुत कम मिलते हैं । अतः हमें ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये जिसकी समाज को आवश्यकता है । लोगों ने हमारा विश्वास किया, हमें भी अपना विश्वास उन्हें देना चाहिये ।

अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये तथा अधिक वित्त, आर्थिक समानता सम्बन्धी निर्णय लेने का कार्य भी स्वयं जनता के हाथों सौंपा जाना चाहिए ।

सभी आर्थिक कार्यों के लिये समूचे देश को नहीं अपितु गांव को इकाई माना जाना चाहिये अन्यथा यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि दोष कहां रह गया है। दायित्व के विकेन्द्रीकरण से यह पता लगाना सरल होगा कि किस जगह त्रुटि रही है। उसे ठीक भी किया जा सकेगा। बहुचर्चित हरित क्रान्ति से अब उल्टे सरकार को हानि हो रही है क्योंकि अनेक उत्पादनों के बड़े-बड़े भण्डार हो गये हैं।

अन्त में, कृषि कर के बारे में एक जांच समिति बिठाई जानी चाहिये जो कि तथ्यों का पता लगे। यह जांच भी निहित स्वार्थों से बड़ी प्रत्युत किती स्वतन्त्र निकाय द्वारा की जानी चाहिये।

श्री वरके जार्ज (कोट्टयम) : मिट्टी के तेल, उर्वरकों तथा पम्प सेटों पर लगाये ऊंचे करों के बारे में अपने से पूर्व बोलने वालों से सहमत हूँ।

यह बजट रोजगार-प्रधान नहीं है, बेरोजगारी आज देश की सबसे विकट समस्या है। हर पंचवर्षीय योजना के बाद बेरोजगारों में संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। परन्तु बजट में इस समस्या के हल के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। केरल जैसे कम विकसित राज्यों में यह संकट और भी भीषण है। सरकार दक्षिण की ओर ध्यान नहीं देती क्योंकि वहां कांग्रेस का शासन नहीं है। यह सरकार तो उनकी ओर ही अधिक ध्यान देती है जो उसे धमकी देते हैं। या स्वायत्तता की मांग करते हैं। केरल-वासी शान्त और सभ्य हैं इसलिए उनकी उपेक्षा की जा रही है। परन्तु यदि उन्होंने भी आन्दोलन आरम्भ कर दिये तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि सब्र की भी कोई सीमा होती है। वहां हजारों व्यक्ति बेरोजगार हैं। यदि केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक प्रस्तावों को केन्द्र स्वीकार कर ले तो उन लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लाइसेंस हेतु लगभग 52 आवेदन केन्द्र के विचाराधीन पड़े हैं पर केन्द्र सरकार हमें राज्य में बामुल्य से प्राप्त खड़ और वन-संसाधनों पर आधारित उद्योग भी नहीं चलाने दे रही।

केरल का पत्तन-आधारित इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु दावा करना किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक न्यायोचित है क्योंकि वहां कालीकट पत्तन के निकट लोहे, अवस्क, चूना तथा पत्थर आदि उपलब्ध हैं और वहां से देशीय और निर्यात बाजार भी खूब उपलब्ध हैं। केरल ही एक मात्र ऐसा स्थान है जहां कोई भी इस्पात संयंत्र नहीं है जबकि सरकार ने अन्य तीन स्थानों के लिये और तीन नये इस्पात संयंत्रों की घोषणा की है। केन्द्र सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड नामक सरकारी उपक्रम की पूरी तरह उपेक्षा कर रखी है। यह देश का एक-मात्र ऐसा करखाना है जहां कास्टिक सोडा और क्लोरियम का उत्पादन होता है। सरकार उसके लिये रेक्टि-फायरों का आयात करने की अनुमति नहीं दे रही है। यदि हमें आयात करने की अनुमति दी जाये तो अगले तीन वर्षों में 45,000 टन कास्टिक सोडा का उत्पादन किया जा सकता है, जिसमें 4 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

केरल राज्य 1964 से एक पेट्रो-रसायन संयंत्र समूह के लिये केन्द्र से अनुरोध करता आ रहा है और यह भी विश्वास दिलाया है कि इसके लिये राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में नैपथा उपलब्ध है। परन्तु फिर भी केन्द्र सरकार इस बारे में चुप्पी साधे बैठी है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने केरल तथा लक्षद्वीप के तटों के बीच एक गैदयुक्त क्षेत्र की खोज की है परन्तु हमारे अनुरोध के बावजूद केन्द्र सरकार ने उसकी योजना-बद्ध जांच के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है।

[श्री के. एन. तिवारी पीठासीन हुए
Sh. K.N. Tiwary in the Chair]

केरल के उद्योगों के लिये बहुत कम मात्रा में इस्पात, एल्यूमीनियम, जिन्क आदि का निपटन किया गया है। हमें अपनी आवश्यकता का 25 प्रतिशत भी नहीं मिला है।

सरकार ने केरल के लिए तीसरे भारतीय टेलीफोन उद्योग का वायदा किया था परन्तु इस सम्बन्ध में भी कुछ नहीं किया गया है।

केरल सरकार ने केरल में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे के लिये मुफ्त भूमि देने का प्रस्ताव किया है। नागर विमानन के महानिदेशक ने एक स्थान भी चुना है परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में आगे कोई विचार नहीं किया गया है।

अन्त में मैं कहूंगा कि यह बजट केवल ऊंचे वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये है और देश की सबसे विकट समस्या बेरोजगारी को हल करने में सर्वथा असमर्थ है।

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : इस बजट का आमतौर पर स्वागत हुआ और जहां जो आलोचना प्रस्तुत की गई है उससे मैं प्रायः सहमत नहीं हूँ।

इस बार बजट में 23 प्रतिशत अधिक पूंजी निवेदा की व्यवस्था है जिससे कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी।

उड़ीसा में खनिज पदार्थों के भण्डार हैं परन्तु फिर भी दुर्भाग्य से यह एक पिछड़ा हुआ राज्य है। सरकार को चाहिये कि वहां एक और बड़ा इस्पात संयंत्र स्थापित करे ताकि हम अपने लौह-अवरक को इस्तेमाल कर सकें और रोजगार के अवसर बढ़ा सकें।

विभिन्न राज्य विद्युत के बारे में विभिन्न नीतियां अपनाते हैं। मेरा सुझाव है कि एक ही प्रकार के उद्योगों के लिये समान विद्युत दरें होनी चाहिये, अन्यथा राज्यों में एक अस्वस्थ प्रतियोगिता शुरू हो जायेगी और इससे राष्ट्रीय हानि होगी। अतः विद्युत अधिनियम में संशोधन करके केन्द्र को

पर्याप्त राशि शक्ति प्राप्त करनी चाहिये जिससे कि वह विभिन्न उद्योगों के लिये सभी राज्यों में समान विद्युत-दरे निर्धारित कर सके। अनेक गैर सरकारी उद्यमों को बड़ी ही सस्ती दरों पर विद्युत मिल रही है इससे राष्ट्रीय हानि होती है। उड़ीसा का अल्यूमीनियम उद्योग अत्याधिक रियायतें ले रहा है। सरकार इतने बड़े उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दे।

अनेक सिंचाई परियोजनायें अधूरी पड़ी हैं। डेल्टा सिंचाई परियोजना वर्ष 1957 में शुरू हुई थी परन्तु अभी तक आधी भी पूरी नहीं हुई है। इससे भारी राष्ट्रीय हानि हुई है क्योंकि अब इसकी लागत 14 करोड़ से बढ़कर 68 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। ऐसी परियोजनाओं को तो तुरन्त ही पूरा किया जाना चाहिये, जिनमें कोसी परियोजना भी शामिल है। जिससे विशाल भूमि की सिंचाई की जा सकती है।

सरकार द्वारा प्रस्तावित फसल बीमा योजना का मैं स्वागत करता हूं। इसके अतिरिक्त सरकार को एक स्वरूप बीमा योजना भी आरंभ करनी चाहिये। इसे पहले शहरी तथा कुछ कटोती क्षेत्रों में आरम्भ किया जाये तथा यथेष्ट अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाये।

केन्द्र सरकार ने पांचवे वित्त आयोग की नियुक्ति करने की घोषणा की है, परन्तु यह आयोग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर पूंजी-निवेश की सिफारिश करता है, जबकि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिये कि पिछड़े राज्यों में अधिक पूंजी-निवेश किया जाये और 10 या 15 वर्षों के भीतर ही उन राज्यों का पिछड़ा-पन दूर किया जाये। जहां हम अकाल, बाढ़ तथा सूखे आदि का सामना करने के लिये करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। हमें मूल्य ह्रास आरक्षित निधि के समान ही 1000 करोड़ रुपये की एक स्थायी विधि स्थापित करनी चाहिये ताकि यह विपत्ति के समय काम आये। हर समय बजट प्रस्ताव लेकर आना अच्छा नहीं है।

डा० अस्टिन ने देश के स्वाधीनता की रजत जयन्ती का जिक्र किया। उनका सुझाव है कि इस वर्ष तो देश के सभी गांवों में पेय-जल सप्लाई की व्यवस्था होनी चाहिये। हमें यह कार्य पूरा करने का प्रण लेना चाहिए। सरकार गत 25 वर्षों की सफलताओं का ब्यौरा देने वाली एक पुस्तिका प्रकाशित करे।

SHRI PRATAP SINGH (Simla): This Budget is quite welcome in view of the circumstances which prevailed and which are still prevalent in the country. Whatever taxes have been imposed to cope with the huge financial burdens caused by the heavy influx of Bangla Desh Refugees and also the Pakistani attack, are quite genuine and realistic and none should have any objection to them. However, I would ask the Government to ensure that whatever provision has been made for the schemes regarding helping those brave jawanas who sacrificed their lives for the nation are implemented properly and they should not be allowed to remain on the paper only.

The Government should pay attention towards the continuously deteriorating conditions of the military pensioners because of steep rise in the prices. They should be given pension on increased rates commensurate with the rise in prices. Let this matter be referred to the Pay Commission or separate Commission be constituted in this behalf. These pensioners have sacrificed the prime of their youth for the nation and now in the time of difficulty they certainly deserve all help and protection from the Government.

The menace of the unemployment is not increasing only by the increase in the number of births but also because of imbalance caused by Family Planning. Then, those who agitate are benefitted and those who keep quiet get nothing. Latter is the case with the hilly areas, particularly Himachal Pradesh. There should be a separate cell in the Planning Commission to look after the hilly areas, and allocate adequate money for their unemployment. Then one type of schemes say for example, in the case of telephones, cannot be successful for all types of areas. There has to be a different sort of scheme for hilly areas, particularly regarding Telephone and electricity connections.

A boundary commission should be immediately set up to settle the long standing boundary disputes between Himachal Pradesh, Haryana and Punjab. The hilly areas which have not yet been included in Himachal Pradesh should forthwith be made part of it. However, we are thankful for giving full statehood to Himachal Pradesh. Land Reforms have first of all been implemented in Himachal Pradesh, but the Planning Commission has done nothing for the State.

With these words, I thank you for the time given to me.

SHRI C. D. GAUTAM (Balaghat) : 1971 has been the year of great crisis and difficulties for our country. We had to bear the huge burden of Bangla Desh refugee and also huge expenditure to repulse the Pak aggression on our land. So, the Government had to incur large expenditure for the same and under these circumstances there cannot be any better budget than the present one. Still I would say that the farmers should not have been taxed to this extent. There should not have been any tax on the tools, tractors and pumping sets and also on kerosene and fertilisers. The Government should reconsider this matter and withdraw these taxes.

“Chinnor” and “Kalikmod” varieties of paddy in Madhya Pradesh are of a very good standard, rate and flavour, but the use of fertilisers for this crop spoils these qualities. Government should make a research to remedy the situation.

The method of compiling the data of production is not correct. It should also be revised to set the correct assessment of the produce per acre. Then, since the abolition of Zamindari system, not much efforts have been made to boost production. The tanks are lying dry and unrepaired. Panchayats do not look after them properly, and a lot of water full of fertilisers flows away in the forests. There is enough water in the drains and canals but there are not schemes to utilise it as a result of which production cannot be increased. Let our Agricultural Department look into it and do the needful.

SHRI KRISHNA CHANDRA PANDEY (Khalilabad) : The year 1970-71 has been a very difficult and burdensome year for the people of India. Influx of refugees and Pakistani attack gave a severe blow to our economic growth and advancement. But despite that, our Finance Minister had submitted a very good Budget in almost all respects. However, I would

appeal that he should withdraw taxation on kerosene which is bound to very badly affect our very poor people who do not have enough to eat, drink and wear on.

To day we are self-sufficient in foodgrains but taxation of pumping-sets would put heavy burden on the farmers and this would result in obstructing the speed of production. Similarly duty on fertilisers would also adversely affect our production and thus create utter discontentment among our poor farmers. The hon. Minister, should, therefore, review his proposals in this behalf and withdraw taxes on the aforesaid items. There is no tax on wine. Let the Government withdraw taxes from pumping sets, tractors, kerosene and fertilisers and compensate it by taxing wine. It would also help in keeping the people away from the vice of drinking. Then until the poor village folks are being burdened with taxes, let the rich people and capitalists be also put under some control and check.

Eastern U. P. is a very backward area, non-availability of cotton yarn has created great crisis for the weavers. The prices of staple yarn are rising day by day and I request the Minister for foreign trade to look into it and remedy the situation.

Eastern U. P. also suffers on account of non-availability of power and good roads. There are no industries as well, I request the Government to take interest in the development of this area. Adequate measures should also be taken to save lakhs of acres of land from erosion by Ghagra river in Busti Janpad. Then, there is no drinking water facilities in Mirzapur where the poor labourers take water from small pits which are meant for animals only. Government should take steps to arrange for drinking water there.

With these words, I support the Budget.

SHRI SHASHI BHUSHAN (South Delhi) : During the last election, I had assumed our own opponents, particularly the Jana Sangh candidates and workers that in case they stopped talking false things against my party, I would also stop speaking the truth about them. But they did not hear and so, suffered. Now, most of them are not here and I do not find a good mood to speak.

Welcoming this Budget, I would point out that all the policies and programmes of the Government cannot be vindicated through a Budget, however the Government should ensure that whatever money is allocated for various purposes, that should invariably be utilised for the same. We are affording 95 per cent of the total expenses of the schools in Delhi but the communal managers thereof are utilising that money for their communal programmes, like organising Shakhas etc. of the R.S.S. I appeal to the Government to nationalise education and grant aid only to those institutions who import socialistic education.

Then, I urge upon the Government to enhance the salaries of the teachers and the jawans. Our jawans have done a tremendous job in crushing the enemy and we are proud of them. Also, I suggest that the names of various battalions should not be based on caste or community but they should be named after great revolutionaries. It is not appropriate to advance loans to such educational institutions where R.S.S. activities go on.

Government deserves congratulations for nationalising copper mines. They should also nationalise iron ore.

The businessmen who have also started farming should be directly taxed.

Nobody can prevent the Government from taking over urban and rural property. That is the policy of our party.

At present there is wide disparity in the salaries of highest paid and lowest-paid Government servants. This ratio should be brought down to 1 : 15.

SHRI NARENDRA SINGH BISHT(Almora) : Our budget should be in conformity with the election manifesto of our party. We have been raising slogans to remove disparity but the proposals of the budget reflect the reverse position. Our economy has badly been shattered due to last cyclone, floods, refugees' problem and war. I do not understand as to why Government is not taxing the rich. This budget has imposed burden on the poor. The taxes on kerosene, fertilizers, steel, pumping sets and aluminium are not in conformity with our programme of *Garibi Hatao*. Under the Gold Control the labourers are deprived of their wages whereas rich people earn millions of rupees by way of smuggling gold. In all the hilly districts, prohibition is in force and the condition of poor people has not been improved and moreover the source of Government income has also been affected.

Our public sector undertakings are not making profits. The Government should pay special attention to the proper running of these undertakings.

The land in Tarai Bhawan in U. P. should be distributed among the families of military personnel and landless people.

A separate welfare department of state level for the Jawans should be organised which should be put under any Minister.

SHRI RAMAVTAR SHASTRI (Patna) : There is news about acute shortage of water in Patna. It is the month of March now and what will be the condition during the months of April, May and June if the problem is not solved at this time. The same is the condition in villages. The Patna Water Board had made a demand for Rs. 3 million to instal more tubewells to the State Government but the Bihar Government cannot provide this fund. The Central Government should provide funds to the State Government to tackle this problem.

There is news about the famine condition in Santhal Parganas District. If help is not extended to the people living in 120 villages immediately the situation may assume serious proportions.

SHRI G. P. YADAV (Katihar) : So far as the Budget is concerned, the farmers expected some help from the Government but their feelings have been impinged.

The prices of agricultural equipment have been increased. The prices of various tractors have gone up. Similarly, levy has been imposed on aluminium and kerosene.

The Finance Minister should withdraw the levies on fertilizers, aluminium and kerosene.

All the big industries should be decentralized and established in villages so that the villagers can avail of the employment opportunities.

Rural electrification will help the farmers to establish small industries. There was a proposal to set-up a thermal power station in Katihar but I am sorry to say as to why that proposal has been shelved. The Government should implement that scheme.

Jute is grown in my constituency but the farmers do not get remunerative price for their jute. The jute mill in that area has been closed. The Government should take over that mill and run it.

[श्री अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

A policy will have how to be evolved to build-up national Character in the field of education.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : कुछ माननीय सदस्यों ने इस बजट की कड़ी आलोचना की है परन्तु मेरा दावा है कि इस बजट में ऐसी व्यवस्था की गई है जो उन मूल उद्देश्यों को पूरा करती है जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये हमारे दल ने गत वर्ष और इस वर्ष जनता से घोषणापत्र के माध्यम से कहा था।

बजट की आलोचना करते समय कई माननीय सदस्यों ने साहित्यिक विशेषणों का प्रयोग किया परन्तु मुझे इस बजट का 'अविश्वनीय' तथा 'सिद्धान्तहीन' बताने पर आपत्ति है क्योंकि यह एक सीधा-सादा बजट है।

आपको यह देखना है कि सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों के पीछे क्या सिद्धान्त है तथा आपको वह भी देखना है कि विकास के लिये तथा सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए बजट में क्या व्यवस्था की गई है।

कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि सरकार का वास्तव में सिद्धान्त क्या है। इस बारे में मैं बाद में बताऊंगा।

मेरे विचार में यह बजट पहले प्राथमिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये है, दूसरे, इस वर्ष की अर्थव्यवस्था की आवश्यक आवश्यकताओं का पूरा करना है। वर्ष 1971 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें देश ने 1 करोड़ शरणार्थियों की देख-भाल करने, बंगला देश को मुक्ति दिलाने तथा पाकिस्तान द्वारा थोपे गये युद्ध का जबाब देने का उत्तरदायित्व संभाला था। बंगला देश को मुक्त कराना तथा प्रजातंत्र स्थापित करने में सहायता देना ही पर्याप्त नहीं है अपितु यह देखना है कि वह कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो। अतः बंगला देश को सहयोग देना इस देश की प्राथमिक राष्ट्रीय आवश्यकता है। उसके लिये हमें व्यवस्था करनी है।

दूसरा पहलू आर्थिक आवश्यकताओं के बारे में है। हमारी अर्थव्यवस्था में निश्चय ही कुछ स्वस्थ परम्पराएँ हैं। हमारे देश के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे में कुछ कमियाँ हैं परन्तु साथ ही हमारी

अर्थ व्यवस्था में कुछ शक्तियाँ हैं और हम एक राष्ट्र के रूप में किसी भी बोझ अथवा कठिनाई का सामना कर सकते हैं। खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार हैं तथा विदेशी मुद्रा के 'रिजर्व' हैं। मैंने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि देश में काला धन भी है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की एक कमी है।

वास्तव में 'आर्थिक आवश्यकताओं' से हमारा तात्पर्य क्या है? हम साधारणतया विकास के साथ सामाजिक न्याय कहते हैं। हम नहीं जानते कि आजादी से पूर्व जैसी गरीबी देश में थी—क्या उससे भी अधिक खराब हालत में गरीबी है। हम आर्थिक विकास चाहते हैं परन्तु हम यह भी चाहते हैं कि मानव विकास सम्बन्धी प्रयास का केन्द्र बिन्दु रहे। मानव के व्यक्तित्व के विकास बिना हम विकास की दर के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। हमें सर्व प्रथम ऐसी गरीबी को दूर करना है जो बहुत बुरी हालत में है। गांवों में लाखों लोग बेरोजगार हैं। देश में बहुत से सूखा-ग्रस्त क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा नहीं होती है।

अतः हमें उनके लिये कुछ व्यवस्था करनी है। इस बजट में इस विशेष कार्यक्रम के लिये भारी व्यवस्था की गई है। योजना में 700 करोड़ रुपये के लगभग सामान्य परिव्यय के अतिरिक्त इस विशेष कार्यक्रम के लिये 240 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि गत वर्ष के धन का सदुपयोग नहीं किया गया।

सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के पहले वर्ष में योजना तैयार करने में थोड़ा समय लग गया था। इस वर्ष, 1971-72 में हमने सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये की गई व्यवस्था का पूर्ण उपयोग किया है। रोजगार देने के लिये द्रुत कार्यक्रम के लिये गत वर्ष 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिस से मार्च के आधे दिनों तक लगभग 30.35 करोड़ रुपये इस कार्य के लिये खर्च कर दिये गये हैं।

पिछली दफा 1965 की पाकिस्तान की लड़ाई के बाद हमने समझा था कि आने वाले तीन वर्षों तक कोई योजना नहीं बनाई जायेगी परन्तु इस वर्ष गत वर्ष के राष्ट्रीय संकट के उपरान्त हमने योजना को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है ताकि जनता का कल्याण हो सके। जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि कुछ दोष हैं तो मैं मानता हूँ कि कुछ दोष हैं।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि क्या मानव का मानव द्वारा शोषण कम किया जायेगा? इसके बारे में हम वचन दे चुके हैं।

माननीय सदस्यों को इस बजट को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिये कि यह बजट महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सैद्धान्तिक आलोचानाओं की हैं। उनके मस्तिष्क में जो बात है वही हमारे मस्तिष्क में है। हम उस बात को उस तरीके से नहीं रख सकते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो उनका तरीका है वही हमारा तरीका है।

वित्तमंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इस बार भी कुछ माननीय सदस्यों ने यही आलोचना की है कि कर-प्रणाली में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गत दो वर्षों में कर-प्रणाली में पहले ही कई आधार-भूत परिवर्तन किये जा चुके हैं। इन्हीं दो वर्षों के दौरान वैयक्तिक आय और व्यक्तिगत सम्पत्ति पर, जिसमें कृषि सम्पत्ति और शहरी सम्पत्ति भी शामिल है, करों में पर्याप्त वृद्धि की गई है। न्यासों से सम्बन्धित कराधान की योजना को पूरी तरह बदल दिया गया है। चालू वर्ष के बजट में नैमित्तिक आय पर कराधान न्यासों के कराधान में अग्रेतर परिवर्तनों और कर की अग्रिम वसूली तथा कर भुगतानों पर ऊंची ब्याज की दरों के लिए की जाने वाली व्यवस्था तो पहले से ही आवश्यक थी ताकि हमारी कर-प्रणाली अधिक प्रगतिशील तथा अधिक कारगर बनाई जा सके।

निगमित कराधान के क्षेत्र में, न केवल निगमित कर की दरों में वृद्धि की गई है अपितु इस सम्बन्ध में दी गई कई रियायतों को भी वापिस लेने की सूचना दे दी गई है। प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए रियायत समाप्त करके तथा निगमित कर पर अभिभार को ढाई प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करके इस प्रक्रिया को वर्तमान बजट में परम्परागत रूप से रखा गया है। समूचे रूप से हमारा प्रत्यक्ष कराधान चाहे कैसा भी क्यों न हो निगमित क्षेत्र या ऊंची आय और अधिक सम्पत्ति वाले लोगों के प्रति वह किसी प्रकार से भी उदार नहीं है।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि अभी इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम यह भी जानते हैं कि कर वसूल करने के लिए भी हमें कार्यवाही करनी पड़ेगी। वास्तव में वांचू समिति का गठन ही इसी उद्देश्य से किया गया था। जहां तक वांचू समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि सभा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई विशेष निर्णय करने से पहले, प्रतिवेदन का अच्छी तरह अध्ययन किया जाय। इस प्रतिवेदन में जो सुझाव दिये गये हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक हैं। निस्संदेह जब तक हम इन सिफारिशों की विस्तृत रूप से जांच न कर लें तथा सभी सदस्यों को इस पर विचार करने का अवसर प्राप्त न हो जाये, तब तक इस की सिफारिशों को यों ही स्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक कालाधन, करापवंचन, करों की बकाया राशि सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए प्रत्यक्ष ढांचे में कोई अग्रेतर परिवर्तन नहीं किया जाता और इससे सम्बद्ध संशोधन विधेयक पेश नहीं किया जाता, तब तक कुछ समय के लिए हमारी आलोचना न की जाये।

कुछ माननीय सदस्यों, विशेषतया श्री ज्योतिभेय वसु ने हमारे विरुद्ध आरोप लगाया है कि हम वांचू समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन की कुछ बातें छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु यह आरोप निराधार है। यदि कोई इस प्रतिवेदन का गहन अध्ययन करे तो उसे मालूम हो जायेगा कि स्वयं प्रतिवेदन में ही कई स्थानों पर अन्तरिम प्रतिवेदन का उल्लेख किया है। अतः यह नहीं कहा जा

सकता कि हम कुछ छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यही कारण है कि उस प्रतिवेदन को छपवाने का निर्णय किया गया है। परन्तु हम यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि समिति के प्रतिवेदन में की गई कुछ सिफारशें ऐसी हैं जो सरकार मानने को तैयार नहीं है।

वाद-विवाद के दौरान यह आलोचना भी की गई है कि हम जानबूझकर समाज के सभी वर्गों को करों से बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु गत दो वर्षों के दौरान कराधान पद्धति तथा वर्तमान बजट में जो परिवर्तन सरकार द्वारा किये गये हैं, उन्हें दृष्टिगत रखने पर इस आरोप का स्वयं ही खंडन हो जाता है। हम देश की अर्थव्यवस्था पर एकाधिकारी नियंत्रण तथा धन के केन्द्रीकरण को समाप्त करने के इच्छुक हैं। हम इस समस्या के प्रति पूर्णतया जागरूक हैं और 1969 से लेकर निरंतर इस दिशा में कदम उठाने जा रहे हैं। हम नीति सम्बन्धी जो विभिन्न निर्णय लेते हैं, उससे हम संयुक्त क्षेत्र की धारणा को कार्यरूप देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा और सरकारी क्षेत्र के पूंजी-निवेश का विस्तार करके हमने ऋणों में परिवर्तनशील खंडों को जोड़ दिया है। वास्तविकता यह है कि सरकारी क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा अभी हमारे समाजवाद के पुनर्निर्माण का मार्ग है। अतः हमने समाजवाद का थोथा नारा ही नहीं लगाया अपितु हम उसके लिए बहुत संयोजित रूप से कार्य भी कर रहे हैं। हम अपने सभी समाजवादी कार्यक्रमों को पूरा करने के इच्छुक हैं। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने बजट का विरोध केवल इस लिए किया है कि उनका सम्बन्ध विरोधी दल से है और इस नाते सरकार की किसी भी बात का विरोध करना उनका धर्म है। श्री मनोहरन तो बजट की चर्चा में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के विषय को घसीट लाये हैं तथा कुछ सदस्यों ने सदन से बाहर बजट की यह कह कर आलोचना की है कि यह अस्पष्ट बजट है। अतः इस प्रकार की आलोचना का उत्तर देने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता।

कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे आत्मनिर्भरता की विचार का उपहास किया है। उनका कहना है कि हम इस दिशा में बढ़ने के लिये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कुछ सदस्यों ने तो उन आंकड़ों का भी उल्लेख किया है जिनकी व्यवस्था इस वर्ष विदेशी सहायता के लिए की गई है इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि पाइप लाइन के लिये विदेशी सहायता को कागजी कर दिखाना अनिवार्य था और इसीलिए हमने ऐसा किया है यह ठीक है कि कुछ देशों ने इकतरफा निर्णय लेकर यह सहायता बंद कर दी है जो कि वास्तव में एक अनुचित बात है। परन्तु एक स्वाभिमानी राष्ट्र के नाते हम इसे स्वीकार भी नहीं कर सकते। हमें जो भी कार्य करना होता है, उस से सम्बन्ध समस्याओं के बारे में अच्छी तरह विचार करने के बाद ही हम उसे करते हैं। किसी भी कार्य को हम जल्दवाजी में नहीं करते। परन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम आत्मनिर्भरता की नीति अवश्य अपनाना चाहते हैं परन्तु इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु तुरन्त सभी प्रकार की विदेशी सहायता और सहयोग समाप्त करना चाहते हैं। अभी हम इस दौर से गुजर रहे हैं। हमें आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन का कार्य करना पड़ेगा। इतना ही नहीं। इसी प्रकार के अन्य उपायों द्वारा ही हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अतः कुछ सदस्यों ने जो यह आलोचना की है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने के लिये कुछ नहीं कर रहे, वह ठीक

नहीं है। इसी सम्बन्ध में श्री समर मुकर्जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह बहुत ही भ्रामक है। उन्होंने “इकानोमिक सर्वे” का जो उदाहरण दिया है उससे ऐसा लगता है कि या तो उन्होंने इसे समझने में भूल की है या फिर उन्होंने जानबूझ कर गलतफहमी फैलाने के लिए उसे गलत ढंग से उद्धृत किया है।

इसके बाद मैं विदेशी पूंजी-निवेश के बारे में की गई आलोचना का उत्तर देना चाहता हूँ। इसके प्रति हमारे रवैये का उल्लेख करते हुए कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमने इससे सम्बद्ध नीति में परिवर्तन कर दिया है और हम गैर सरकारी विदेशी पूंजी लगाने वालों को अनेक आनावश्यक सुविधायें दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा और कोई झूठ नहीं हो सकता। गैर सरकारी विदेशी पूंजी-निवेश के प्रति हमारी नीति पूर्णतया स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि श्री समर मुकर्जी को इस सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये हैं, वह पूर्णतया गलत हैं। गैर-सरकारी विदेशी पूंजी-निवेश के बारे में अपनी नीति के माध्यम से हम तकनीकी जानकारी के नये सहयोग अथवा विदेशी मुद्रा में इक्विटी पूंजी-निवेश का ऐसे क्षेत्रों में स्वागत करते हैं, जहां अभी हमें इस प्रकार की कमी को दूर करना है। इसके साथ ही, हमने अधिक पूंजी-निवेश वाली विदेशी कम्पनियों के मामले में विदेशी पूंजी-निवेश की प्रतिशतता को उत्तरोत्तर कम करने का भरसक प्रयत्न किया है। हाल में इस सम्बन्ध में निश्चित मार्गदर्शन सिद्धान्त बनाए गए हैं। यह सच है कि जब कोई नया विदेशी प्रस्ताव अनिवार्य रूप से आयात प्रधान होता है तो हम उसके प्रति कुछ उदार दृष्टिकोण अपनाते हैं, परन्तु इस का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि हम विदेशी पूंजी-निवेश को खूली छूट दे रहे हैं। वास्तविकता यह है कि चयन-व्यवस्था के अन्तर्गत ही जिसे कि हम अपना चुके हैं, हम इस प्रकार के सहयोग को महत्त्व देते हैं ताकि विदेशी पूंजी-निवेश द्वारा आत्म-निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मुझे विश्वास है कि श्री मुखर्जी और श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे मेरे मित्र तब तक सन्तुष्ट नहीं होंगे जब तक मैं यह न कहूं कि हम किसी प्रकार का विदेशी पूंजी-निवेश स्वीकार नहीं करेंगे। परन्तु मैं उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई कार्यवाही करने का हमारा इरादा नहीं है। कई सदस्यों ने कहा है कि ग्रामीण धनवानों पर कर लगाने के लिए सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए, किन्तु जैसा कि आप जानते हैं ग्रामीण धनवानों पर कर लगाने के सम्बन्ध में एक संवैधानिक अड़चन भी है। इस प्रश्न पर केन्द्र-राज्य सम्बन्ध बीच में आ जाते हैं। जहां तक हमें कर लगाने का अधिकार प्राप्त था हमने कृषि सम्पत्ति पर कर लगाया है। ग्रामीण धनवानों की आय अर्थात् कृषि आय पर कर लगाने का प्रश्न एक ऐसा मामला है जिस पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हमने मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था और उनके साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था। सदस्यों को यह मानना होगा कि इन सभी मामलों में जो कि राजनीतिक तौर पर बड़े नाजुक मामले हैं, हमें राज्य सरकारों को अपने साथ लेने के लिए उन्हें सहमत करना पड़ेगा। अब मामला कुछ आसान हो गया है क्योंकि अधिकांश राज्यों में हमारी अपनी सरकारें बनी हैं। जब कभी केन्द्र-राज्य सम्बन्ध अथवा राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न उठता है तो अधिकतर राजनीतिक दल मिल जाते हैं और वे यह कहते हैं कि इसे करना ही होगा। किन्तु जब कृषि आय पर कर लगाने का प्रश्न उठता है तो वे यह कहते हैं कि ‘आप

इसे क्यों नहीं करते ?' इस प्रकार वे दोरंगी बातें करते हैं। किन्तु हम ने उन्हें सहमत कर लिया है और उन्होंने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने की बात स्वीकार कर ली है और राज समिति एक ऐसी समिति है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि रखे गये हैं। समिति की बैठकें शुरू हो गई है। आशा है कि उनकी रिपोर्ट अक्टूबर मास में मिल जाएगी। अतः यह कहना कि ग्रामीण धनवानों पर कर लगाये जाने के प्रश्न पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, गलत है। यह आलोचना की गई है कि अप्रत्यक्ष कराधान की तुलना में प्रत्यक्ष कर बहुत कम लगाये गये हैं। यह सच है कि ऐसा किया गया है। दुर्भाग्यवश इस देश की अधिकांश जनता बहुत निर्धन है। अतः प्रत्यक्ष कराधान का आधार बहुत कम है और जब कभी हमें नए संसाधन जुटाने होते हैं तो हमें अप्रत्यक्ष कराधान का सहारा लेना पड़ता है।

150 करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष करों में से लगभग एक-तिहाई भाग अर्थात् 50 करोड़ रुपये राज्यों के लिए रखे गये हैं। हम इसके लिये वचनबद्ध हैं, क्योंकि हमने तम्बाकू, चीनी, कपड़ा आदि जैसी वस्तुओं पर बिक्रीकर लगाने का अधिकार प्राप्त किया हुआ है। इस बार मैंने चीनी को छोड़ा तक नहीं, किन्तु अन्य वस्तुओं पर मुझे कर लगाने पड़े हैं। राज्य सरकारों ने हमसे बिक्रीकर न लगाने का अनुरोध किया है। वे अपनी ओर से उत्पादन शुल्क लगाएंगी जिसमें से हमें भी हिस्सा मिलेगा। अतः इस कारण हमें अप्रत्यक्ष कर ज्यादा लगाने पड़े हैं। इन 50 करोड़ रुपयों और अन्य करों में उनके हिस्से होने से निश्चय ही वे अपने योजना कार्यक्रमों का अधिक तेजी से कार्यान्वित कर सकेंगे।

प्रो० मधु दंडवत : ग्रामीण धनवानों पर कर लगाने के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इसमें सन्देह नहीं कि यह मामला राज्य सरकारों का है पर अगर केन्द्र सरकार ग्रामीण धनवानों पर लगाए गए और करों की राशि का कुछ भाग सम्बद्ध राज्य सरकारों को दे दे तो इससे विवाद नहीं उत्पन्न होगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सुझाव मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी दिया गया था, किन्तु इसमें संबंधानिक व्यवस्था का प्रश्न निहित है। साथ ही केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में वित्तीय पहलू की असाधारण महत्व है। अतः हम इस पर विचार किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते।

यह उल्लेख किया गया है कि घाटे की अर्थव्यवस्था के लिए की गई व्यवस्था, योजना आयोग द्वारा किये गये मूल्यांकन की तुलना में बहुत कम है। इस सम्बन्ध में बताया जा सकता है कि घाटे की अर्थव्यवस्था के लिए योजना आयोग ने 200 करोड़ रुपये की राशि सुरक्षित सीमा के रूप में रखी थी। यदि घाटे की अर्थव्यवस्था का उपयोग रचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाए तो उस सीमा के ऊपर 50 करोड़ 60 करोड़ या 70 करोड़ रुपये से कोई अन्तर नहीं पड़ता। अतः यह भी घाटे की अर्थव्यवस्था की सीमा में ही है।

यह कहा गया है कि बजट अधिक जानदार नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार की इस पर अधिक स्पष्ट प्रतिक्रिया होगी। किसी सट्टेबाज की किसी वस्तु के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है इस दृष्टि से

परीक्षण नहीं किया जा सकता। वास्तविक जाँच इन तथ्यों पर आधारित होती है कि सरकार ने कौन से ठोस पहलुओं, संकेतों तथा सम्भावनाओं को दृष्टि में रखा है। वास्तव में उनकी प्रतिक्रिया बजट प्रस्तावों के विरुद्ध नहीं, अपितु उनका विरोध हमारे द्वारा विकास के लिए बहुत बड़ी राशि लगाए जाने के प्रति है। यह एक ऐसा बजट है जिसमें इस वर्ष की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं की चुनौती स्वीकार की गई है।

मिट्टी के तेल पर कर लगाने के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा बहुत कुछ कहा गया है। कुछ मद्दों पर कर लगाया जाना बहुत आवश्यक था। जहाँ तक इस्पात पर कर लगाने का सम्बन्ध है आयातित और देश में उत्पादित इस्पात की कीमतों में अन्तर बहुत अधिक है। अतः यह आलोचन उचित नहीं।

जहाँ तक ऊर्वरक पर कर लगाने का सम्बन्ध है, इससे छोटे किसानों पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तथापि यह सच है कि इससे उन किसानों पर बोझ पड़ेगा जो उर्वरक का प्रयोग करने की स्थिति में हैं। किन्तु उन्हें इससे अधिक आर्थिक लाभ मिलने वाला है। हम इसका केवल एक अंश ही ले रहे हैं। एक ओर यह कहा जाता है कि केन्द्रीय-राजस्व कौष को कृषि क्षेत्र से कुछ भी नहीं मिलता और दूसरी ओर जब हम कुछ करने का प्रयास करते हैं तो उसकी आलोचना की जाती है। यह अनुचित बात। अभी तक निर्धन कृषक इस स्थिति में पहुँचे ही नहीं कि वह उर्वरक का प्रयोग कर सकें।

जहाँ तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है कराधान के प्रस्तावों में शुल्क को बढ़ाकर 285 रुपये प्रति किलो लिटर करने का प्रस्ताव था। अब मैं इसे कम करके 265 रुपये प्रति किलो लिटर करना चाहता हूँ। इससे सरकार को 12 करोड़ रुपये का घाटा होगा। यह कमी लगभग 2 पैसे प्रति लिटर होगी।

श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे : यदि आप इसे समाप्त करना चाहते हैं तो पूर्णतः प्राप्त कीजिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं ने हर संभव उपाय से सदन की इच्छाओं को ध्यान में रखा है और मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मुझे सहयोग देंगे।

SHRI ISHAQ SAMBHALI (Amroha) : It has been repeatedly stated in the House that according to official figures about 750 crores of rupees are outstanding against big industrialists and capitalists. The hon. Minister has said nothing about the realisation of the arrears.

SHRI YASHWANTRAO GHAVAN : If you will put the question again, I will answer to that.

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) 1972-73

DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (GENERAL), 1972-73

अध्यक्ष महोदय द्वारा लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें (सामान्य) मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands for Grants on Account (General) were put and adopted :

राजस्व से लिया जाने वाला व्यय

मांग संख्या 1	शीर्षक 2	राशि 3
(रक्षा मंत्रालय)		
		रुपये
1	रक्षा मंत्रालय ...	20,20,000
2	रक्षा सेवाएं, सक्रिय स्थल सेना ...	1,53,65,67,000
3	रक्षा सेवाएं, सक्रिय-नौसेना ...	11,33,92,000
4	रक्षा सेवाएं, सक्रिय-वायु सेना ...	45,31,97,000
5	रक्षा सेवाएं, निष्क्रिय ...	9,01,67,000
(शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय)		
6	शिक्षा विभाग ...	40,67,000
7	शिक्षा ...	13,20,92,000
8	समाज कल्याण विभाग ...	1,45,63,000
(विदेश मंत्रालय)		
9	वैदेशिक कार्य ...	5,70,19,000
10	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय...	10,17,88,000
(वित्त मंत्रालय)		
11	वित्त मंत्रालय ...	3,29,74,000
12	सीमा शुल्क ...	1,84,40,000
13	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ...	3,68,46,000
14	निगम कर आदि सहित आय पर कर...	3,75,94,000
15	स्टाम्प ...	86,20,000
16	लेखापरीक्षा ...	6,23,34,000

1	2	3
17	मुद्रा और सिक्का ढलाई ...	2,79,60,000
18	टकसाल ...	91,20,000
19	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ ...	3,16,08,000
20	अफीम के कारखाने और एलको-लायड के कारखाने ...	7,63,62,000
21	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय ...	12,24,36,000
22	राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को सहायक अनुदान ...	1,31,45,57,000
23	केन्द्र तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन ...	8,64,000
24	विभाजन-पूर्व की अदायगियां ...	4,000
(कृषि मंत्रालय)		
25	कृषि विभाग ...	92,95,000
26	कृषि ...	5,23,96,000
27	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अदायगियां ...	5,42,31,000
28	वन ...	32,89,000
29	खाद्य विभाग ...	20,06,92,000
30	सामुदायिक विकास विभाग ...	8,35,000
31	सहकारिता विभाग ...	53,64,000
(विदेश व्यापार मंत्रालय)		
32	विदेश व्यापार मंत्रालय ...	82,32,000
33	विदेश व्यापार ...	21,14,08,000
34	निर्यात-मूलक उद्योग ...	1,26,84,000
(स्वास्थ्य परिवार नियोजन मंत्रालय)		
35	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय ...	26,28,000
36	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य ...	5,20,55,000
(गृह मंत्रालय)		
37	गृह मंत्रालय ...	27,95,000
38	मंत्रिमण्डल ...	14,12,000
39	कार्मिक विभाग ...	76,92,000
40	पुलिस ...	18,47,27,000
41	जनगणना ...	67,56,000

1	2	3
42	सांख्यिकी ...	86,95,000
43	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें ...	37,99,000
44	गृह मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय ...	2,38,71,000
45	दिल्ली ...	11,77,97,000
46	चण्डीगढ़ ...	1,41,20,000
47	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह ...	2,02,06,000
48	अरुणाचल प्रदेश ...	2,70,22,000
49	दादरा और नागर हवेली क्षेत्र ...	15,21,000
50	लक्ष द्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह ...	41,34,000
51	मीजोरम ...	1,08,30,000
(औद्योगिक विकास मंत्रालय)		
52	औद्योगिक विकास मंत्रालय ...	35,60,000
53	उद्योग ...	77,75,000
54	ग्राम तथा लघु उद्योग ...	3,76,61,000
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)		
55	सूचना और प्रसारण मंत्रालय ...	5,74,000
56	प्रसारण ...	2,87,46,000
57	सूचना और प्रचार ...	1,54,56,000
(सिंचाई और विद्युत मंत्रालय)		
58	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ...	1,68,19,000
59	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण योजनाएं...	63,16,000
60	बिजली योजनाएं ...	61,17,000
(श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय)		
61	श्रम और रोजगार विभाग ...	27,52,000
62	श्रम और नियोजन ...	3,72,43,000
63	पुनर्वासि विभाग ...	6,43,48,000
(विधि और न्याय मंत्रालय)		
64	विधि और न्याय मंत्रालय ...	1,09,55,000
65	न्याय प्रसासन ...	47,000

1	2	3
(पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय)		
66	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ...	14,41,000
(योजना मंत्रालय)		
67	योजना मंत्रालय ...	85,000
68	योजना आयोग ...	28,94,000
(नौवहन और परिवहन मंत्रालय)		
69	नौवहन और परिवहन मंत्रालय ...	28,83,000
70	सड़कें ...	4,22,99,000
71	नौवहन ...	1,51,67,000
72	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाशपोत ...	22,42,000
73	बन्दरगाह ...	88,83,000
74	सड़कें और अन्तर्राष्ट्रीय जल परिवहन ...	8,16,000
(इस्पात और खान मंत्रालय)		
75	इस्पात विभाग ...	19,12,000
76	खान विभाग ...	2,98,52,000
77	भू-गर्भ सर्वेक्षण ...	2,80,83,000
(पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय)		
78	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय ...	4,86,000
79	ऋतु विज्ञान ...	1,07,44,000
80	उड्डयन ...	2,59,54,000
81	पर्यटन ...	52,20,000
(निर्माण और आवास मंत्रालय)		
82	निर्माण और आवास मंत्रालय ...	50,96,000
83	लोक निर्माण कार्य ...	7,24,48,000
84	लेखन सामग्री और छपाई ...	2,79,35,000
(परमाणु ऊर्जा विभाग)		
85	परमाणु ऊर्जा विभाग ...	5,30,000
86	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और नाभिकीय शक्ति योजनाएं ...	9,15,13,000

1	2	3
(संचार मंत्रालय)		
87	संचार मंत्रालय ...	12,37,000
88	समुद्रपारीय संचार सेवा ...	87,34,000
89	डाक और तार विभाग (कार्य चालन व्यय) ...	48,72,12,000
90	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभान्श और प्राक्षित निधियों में विनियोग तथा सामान्य राजस्व से दिये जाने वाले ऋणों की वापसी ...	7,52,00,000
(कम्पनी कार्य विभाग)		
91	कम्पनी कार्य विभाग ...	20,60,000
(इलेक्ट्रानिक्स विभाग)		
92	इलेक्ट्रानिक्स विभाग ...	63,25,000
(संस्कृति विभाग)		
93	संस्कृति विभाग ...	75,05,000
94	पुरातत्व ...	40,70,000
(संसदीय कार्य विभाग)		
95	संसदीय कार्य विभाग ...	2,06,000
(विज्ञान और औद्योगिक विभाग)		
96	विज्ञान और औद्योगिक विभाग ...	59,05,000
97	भारतीय सर्वेक्षण ...	1,48,49,000
98	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुदान	4,12,22,000
(पूर्ति विभाग)		
99	पूर्ति विभाग ...	30,82,000
100	पूर्ति तथा निपटान ...	84,75,000
(संसद और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय)		
101	लोक-सभा ...	47,37,000
102	राज्य सभा ...	19,36,000
103	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय ...	63,000

1	2	3
II—पूँजी खाते से किया जाने वाला व्यय और ऋणों तथा अग्रिमों का भुगतान		
(रक्षा मंत्रालय)		
104	रक्षा सम्बन्धी पूँजी परिव्यय ...	31,78,33,000
105	रक्षा मंत्रालय का अन्य पूँजी परिव्यय ...	1,04,17,000
(शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय)		
106	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय का पूँजी परिव्यय	17,46,000
(वित्त मंत्रालय)		
107	इंडिया सिक्कोरिटी प्रेस पर पूँजी परिव्यय ...	17,03,000
108	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूँजी परिव्यय ...	4,01,08,000
109	टकसालों पर पूँजी परिव्यय ...	10,58,000
110	पेंशनों का राशिकृत मूल्य ...	1,67,87,000
111	वित्त मंत्रालय का अन्य पूँजी परिव्यय ...	50,12,000
112	विकास के लिए राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूँजी परिव्यय ...	5,14,81,000
113	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम ...	1,39,95,72,000
(कृषि मंत्रालय)		
114	अन्न और रासायनिक खाद की खरीद ...	26,44,03,000
115	कृषि मंत्रालय का अन्य पूँजी परिव्यय ...	9,05,32,000
(विदेश व्यापार मंत्रालय)		
116	विदेश व्यापार मंत्रालय का पूँजी परिव्यय ...	54,93,000
(स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय)		
117	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय का पूँजी परिव्यय	4,28,19,000
(गृह मंत्रालय)		
118	संघ राज्यक्षेत्र का पूँजी परिव्यय ...	4,54,52,000
119	गृह मंत्रालय का अन्य पूँजी परिव्यय ...	42,08,000
(औद्योगिक विकास मंत्रालय)		
120	औद्योगिक विकास मंत्रालय का पूँजी परिव्यय ...	3,42,46,000

1	2	3
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)		
121	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	2,08,03,000
(सिंचाई और विद्युत मंत्रालय)		
122	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का पूंजी परिव्यय ...	1,98,36,000
123	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय ...	5,45,20,000
(श्रम और पुनर्वास मंत्रालय)		
124	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय ...	1,33,18,000
(पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय)		
125	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय ...	13,82,52,000
(नौवहन और परिवहन मंत्रालय)		
126	सड़कों पर पूंजी परिव्यय ...	14,27,17,000
127	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय ...	1,70,02,000
128	नौवहन और परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	2,93,39,000
(इस्पात और खान मंत्रालय)		
129	इस्पात और खान मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय ...	15,31,59,000
(पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय)		
130	उड़्डयन पर पूंजी परिव्यय ...	94,46,000
131	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	1,99,15,000
(निर्माण और आवास मंत्रालय)		
132	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय ...	2,09,04,000
133	दिल्ली पूंजी परिव्यय ...	1,20,40,000
134	निर्माण और आवास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय ...	45,26,000
(परमाणु ऊर्जा विभाग)		
153	परमाणु ऊर्जा विभाग का पूंजी परिव्यय ...	11,79,60,000
(संचार मंत्रालय)		
136	डाक और तार विभाग का पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	24,21,17,000
137	संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय ...	60,13,000

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1972

PPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1972.

वित्तमंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1972-73 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 1972-73 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ :

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि वित्तीय वर्ष 1972-73 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।”

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि वित्तीय वर्ष 1972-73 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है “कि खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 2 and 3, the schedule, clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री बशवन्तराव चव्हाण: मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि विधेयक को पारित किया जाए।”

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक को पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 28 मार्च 1972 / 8 चैत्र 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday March 28, 1972/ Chaitra 8, 1894 (Saka).